नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, बिहार से प्रसारित

सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number : F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 03, अंक 395, नई दिल्ली, शनिवार 04 अप्रैल 2026, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

सफलता का मुख्य आधार सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास है। कठिनाइयां केवल आपके धैर्य की परीक्षा लेने आती हैं, आपको रोकने नहीं।

03 महादेव क्यों कहलाए अर्धनारीश्वर
06 सुनहरे गेहूं की कहानी: प्राचीन रीति-रिवाजों से लेकर मशीन युग ...
08 2027 के चुनावों में मान सरकार के पक्ष में पिछली 92 सीटों के मुकाबले 100 सीटों ...

सम्मान की गौरवशाली परंपरा: जब कर्मयोगियों के द्वार पुन: पहुँचे संपादक संजय बाठला; 'परिवहन विशेष' ने देश के नायकों को सराहा

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली : पत्रकारिता के साथ-साथ सामाजिक सरोकारों को जीवंत रखते हुए 'परिवहन विशेष' समाचार पत्र ने एक नई मिसाल पेश की है। समाचार पत्र के तृतीय वार्षिक सम्मान समारोह के उपरांत, मुख्य संपादक संजय बाठला उन गणमान्य विभूतियों के द्वार जाकर उन्हें सम्मानित कर रहे हैं, जो अपनी व्यस्तता के कारण मुख्य आयोजन में शिरकत नहीं कर पाए थे।

न्याय, प्रशासन और समाजसेवा के स्तंभों का सम्मान

इसी कड़ी में आज मुख्य संपादक संजय बाठला अपनी टीम के साथ विशिष्ट न्यायविदों, अधिवक्ताओं और वरिष्ठ अधिकारियों के निवास पर पहुँचे। उन्होंने निम्नलिखित हस्तियों को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया :

माननीय न्यायमूर्ति राजेश टंडन : पूर्व न्यायाधीश, उत्तराखंड उच्च न्यायालय एवं वर्तमान पीठासीन न्यायाधीश, दैनिक लोक अदालत, नैनीताल (UK)। आपको आपके दीर्घकालीन न्यायिक योगदान के लिए सम्मानित किया गया।

श्री आलोक कुमार : मुख्य महाप्रबंधक (LPG - सेवानिवृत्त), इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (विपणन प्रभाग), दिल्ली। राष्ट्र निर्माण में आपकी प्रबंधकीय सेवाओं को सराहा गया।

श्री के.सी. बजाज : उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी (सुप्रीम कोर्ट) के पूर्व चेयरमैन एवं हरियाणा राज्य के लिए सुप्रीम कोर्ट में पूर्व स्टैंडिंग काउंसिल। आप मूल रूप से हिसार, हरियाणा से संबंध रखते हैं।

संध्या बजाज : उच्चतम न्यायालय की वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की पूर्व सदस्य। आप हरियाणा हैंडलूम एपेक्स की पूर्व चेयरमैन, हाउसिंग बोर्ड हरियाणा की पूर्व निदेशक एवं भाजपा हरियाणा की पूर्व प्रवक्ता के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। बच्चों के अधिकारों और समाज कल्याण के क्षेत्र में आपकी सक्रियता प्रेरणादायक है।

पहल की सराहना

इस विशेष अभियान के दौरान मुख्य संपादक के साथ वरिष्ठ समाजसेविका पिंकी कुंडू जी भी उपस्थित रहीं। सम्मानित हस्तियों ने 'परिवहन विशेष' की इस संवेदनशील पहल की सराहना करते हुए कहा कि कार्यस्थल या निवास पर जाकर सम्मान देना न केवल गौरव की बात है, बल्कि यह समाज के अन्य लोगों के लिए भी एक बड़ी प्रेरणा है। अंत में सभी ने समाचार पत्र के उज्ज्वल भविष्य और निर्भीक पत्रकारिता की कामना की।

"सम्मान केवल मंच का मोहताज नहीं होता, वह व्यक्तित्व की गरिमा को पहचानने का नाम है।"
- संजय बाठला

"सम्मान केवल एक मंच या भव्य आयोजन का मोहताज नहीं होता, बल्कि यह उन प्रयासों की स्वीकृति है जो राष्ट्र निर्माण के लिए निस्वार्थ भाव से किए जाते हैं। हमारे ये गणमान्य अतिथि अपनी प्रशासनिक और सामाजिक व्यस्तताओं के कारण मुख्य समारोह में नहीं आ सके, लेकिन उनके द्वारा देशहित में किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों का मूल्य कम नहीं हो जाता। 'परिवहन विशेष' परिवार का यह सौभाग्य है कि हमें आज इन कर्मयोगियों के द्वार पर आकर उन्हें सम्मानित करने का अवसर मिला है। राष्ट्र निर्माण में इन अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों का योगदान अतुलनीय है और हमें उम्मीद है कि इनका मार्गदर्शन हमें सदैव मिलता रहेगा।"

न्यायमूर्ति राजेश टंडन के निवास पहुँचे संपादक संजय बाठला; सम्मान के साथ हुआ रात्रि सह-भोज

सामाजिक सरोकारों को जीवंत रखते हुए 'परिवहन विशेष' समाचार पत्र ने एक नई मिसाल पेश की है। इसी कड़ी में मुख्य संपादक संजय बाठला ने अपनी टीम के साथ उत्तराखंड उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और वर्तमान पीठासीन न्यायाधीश (दैनिक लोक अदालत, नैनीताल) माननीय न्यायमूर्ति राजेश टंडन के निवास पर पहुँचकर उन्हें सम्मानित किया।

न्यायमूर्ति टंडन को उनके दीर्घकालीन और विशिष्ट न्यायिक योगदान के लिए 'परिवहन विशेष' सम्मान पत्र भेंट किया गया। सम्मान की यह औपचारिक मुलाकात उस समय और भी यादगार हो गई, जब न्यायमूर्ति जी के निवास पर रात्रि सह-भोज (Dinner) का आयोजन हुआ। इस दौरान न्यायिक जगत, पत्रकारिता और सामाजिक विषयों पर गहन चर्चा हुई।

संजय बाठला ने कहा कि जस्टिस टंडन जैसी महान विभूतियों का सान्निध्य मिलना गर्व की बात है। न्यायमूर्ति जी ने 'परिवहन विशेष' की इस आत्मीय पहल की सराहना करते हुए संस्थान के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर वरिष्ठ समाजसेविका पिंकी कुंडू आदि उपस्थित रहीं।

श्री आलोक कुमार : मुख्य महाप्रबंधक (LPG - सेवानिवृत्त), इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (विपणन प्रभाग), दिल्ली। राष्ट्र निर्माण में आपकी प्रबंधकीय सेवाओं को सराहा गया।

श्री के.सी. बजाज : उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी (सुप्रीम कोर्ट) के पूर्व चेयरमैन एवं हरियाणा राज्य के लिए सुप्रीम कोर्ट में पूर्व स्टैंडिंग काउंसिल।

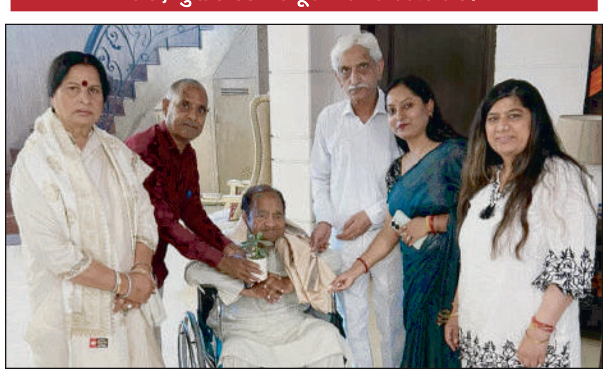

संध्या बजाज : उच्चतम न्यायालय की वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की पूर्व सदस्य। आप हरियाणा हैंडलूम एपेक्स की पूर्व चेयरमैन, हाउसिंग बोर्ड हरियाणा की पूर्व निदेशक एवं भाजपा हरियाणा की पूर्व प्रवक्ता के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं।

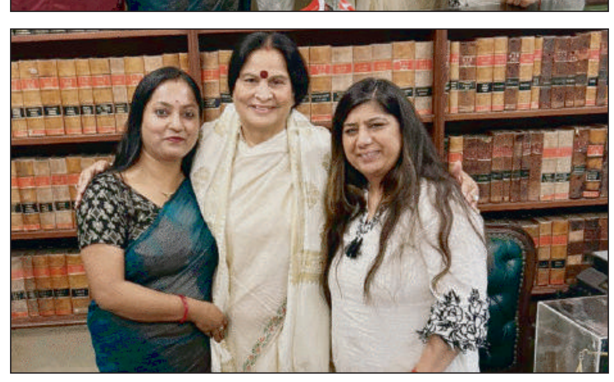

सड़क सुरक्षा का संदेश, नन्हे कदमों के संग! 6 वर्षीय नील कुंडू और 4 वर्षीय गिरिक कुंडू ने अपनी कविता के माध्यम से सड़क सुरक्षा (Road Safety) के प्रति जागरूकता फैलाने की एक अद्भुत कोशिश की है। इन नन्हे 'परिवहन प्रहरी' के जज्बे को हमारा सलाम!

टेंपल आफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर अलाइड ट्रस्ट पंजीकृत
https://tolwa.com/about.html | tolwaindia@gmail.com, tolwadelhi@gmail.com

पिंकी कुंडू

आज का साइबर सुरक्षा विचार : कंबोडिया के स्कैम हब्स से चल रहे धोखाधड़ी तंत्र को समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये भारतीय अर्थव्यवस्था में सेंध लगाने की कोशिश है।

भारत से तस्करी कर ले जाए गए और पहले से सक्रिय किए गए SIM कार्ड उतने ही खतरनाक हैं जितने SIM बॉक्स—बल्कि उनसे भी अधिक—क्योंकि इन्हें पकड़ना कहीं ज्यादा कठिन होता है।

तेलंगाना साइबर सुरक्षा ब्यूरो (TGCSB) ने एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया, जो भारतीय SIM कार्डों को अवैध रूप से खरीदकर, सक्रिय कर, कंबोडिया भेज रहा था। वहाँ साइबर अपराध सिंडिकेट्स इनका इस्तेमाल फ़िशिंग, फर्जी कॉल, पहचान की चोरी और वसूली के लिए कर रहे थे।

2023 से अब तक गिरोह ने 600 से अधिक SIM कार्ड भेजे। एक कुरियर हैदराबाद एयरपोर्ट पर 198 सक्रिय SIM कार्डों के साथ पकड़ा गया।

SIM कार्ड रैकेट की कार्यप्रणाली (Modus Operandi)

1. SIM कार्ड की खरीद
   - o हैदराबाद और अन्य क्षेत्रों के स्थानीय विक्रेता बड़ी संख्या में SIM कार्ड जुटाते थे।
   - o नकली दस्तावेज़ और पहचान का उपयोग कर इन्हें सक्रिय किया जाता था, जिससे KYC नियमों को दरकिनार किया गया।
2. **पूर्व-सक्रियण और भंडारण**
   - o SIM कार्ड भारत में ही सक्रिय कर दिए जाते थे।
   - o गिरफ्तारी के समय एक आरोपी के पास 198 सक्रिय SIM कार्ड मिले।
3. **कंबोडिया तक तस्करी**
   - o कुरियर SIM कार्डों को बैग में छिपाकर RGIA, शमशाबाद से उड़ान भरने की कोशिश करते।
   - o इमिग्रेशन अधिकारियों की सूचना पर TGCSB ने कार्रवाई की।
4. **वितरण**
   - o सैकड़ों SIM कार्ड कंबोडिया और अन्य दक्षिण-पूर्व एशियाई स्कैम हब्स तक पहुँचाए जाते।
   - o वहाँ इन्हें संगठित साइबर अपराध सिंडिकेट्स को सौंप दिया जाता।
5. **स्कैम इंफ्रास्ट्रक्चर**
   - o कंबोडिया में SIM कार्ड SIM Banks/SIM Boxes में लगाए जाते, जो एक साथ सैकड़ों SIM चला सकते हैं।
   - o इनसे बड़े पैमाने पर कॉल, OTP रिक्वेस्ट और फ़िशिंग मैसेज भेजे जाते, जो भारतीय नंबर से आते हुए प्रतीत होते।
6. **धोखाधड़ी का निष्पादन**
   - o भारत में पीड़ितों को कॉल/SMS मिलता जो वैध भारतीय नंबर जैसा दिखता।
   - o प्रमुख धोखाधड़ी:
     - फ़िशिंग लिंक (नकली बैंकिंग/पेमेंट पोर्टल)
     - फर्जी कॉल (पुलिस, बैंक या सरकारी अधिकारी बनकर)
     - OTP चोरी कर अकाउंट पर कब्ज़ा
     - स्पूफ़्ड नंबर से वसूली और धमकी
7. **धोखाधड़ी का पैमाना**
   - o TGCSB ने बताया कि 2025 में पूरे भारत में 24 लाख पीड़ितों ने ₹22,000 करोड़ गँवाए, जिनमें से कई मामले विदेशी सिंडिकेट्स द्वारा भारतीय SIM के इस्तेमाल से जुड़े थे।

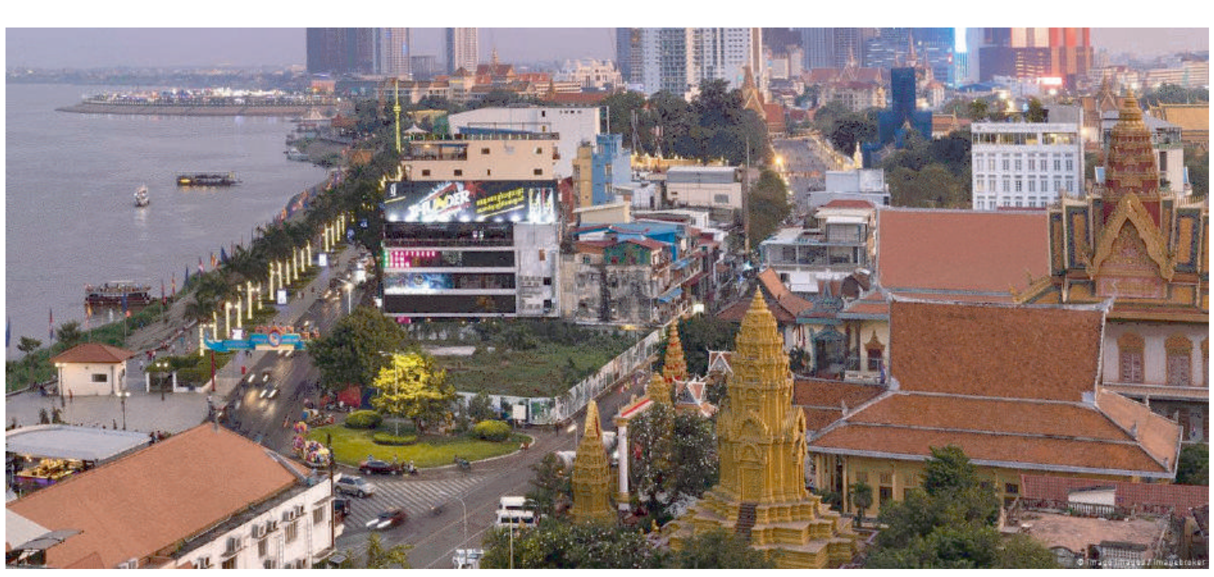

प्रमुख गिरफ्तारियाँ

- सैयद अशरफ़ अली, चंद्रायनगुट्टा, हैदराबाद का SIM विक्रेता, मुख्य आरोपी था।
  – वह और उसके चार साथी SIM कार्ड कंबोडिया भेजने की कोशिश में पकड़े गए।

जोखिम और प्रभाव

- राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा: भारतीय SIM विदेश में जाकर धोखेबाज़ों को घरेलू कॉलर जैसा दिखने देता है।
- **आर्थिक नुकसान: नागरिकों से करोड़ों रुपये ठगे गए।**
- नियामक खामियाँ: KYC नियमों की कमजोर निगरानी का फायदा उठाया गया।

सुझाए गए रोकथाम उपाय

- टेलीकॉम कंपनियों द्वारा SIM KYC नियमों का सख्ती से पालन ही रोकथाम का प्रभावी उपाय है।

9 देश की अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इस कार्यप्रणाली के मद्देनज़र अपने खुफिया तंत्र को मज़बूत कर ऐसे और भी सिंडिकेट्स का पता लगाकर उनका पर्दाफाश करना चाहिए।

स्वास्थ्य विशेष

स्वास्थ्य आपका कोशिश हमारी

भारत की अधिकांश समस्याओं की जड़ है अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि

डॉ. शैलेश शुक्ला

भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है और वर्ष 2023 में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार देश की जनसंख्या लगभग 142.8 करोड़ आंकी गई, जिससे वह चीन से आगे निकल गया। यह स्थिति केवल एक सांख्यिकीय उपलब्धि या वैश्विक रैंकिंग का विषय नहीं है, बल्कि यह देश के संसाधनों, प्रशासनिक क्षमता, पर्यावरणीय संतुलन और सामाजिक संरचना पर गहरे प्रभाव डालने वाली वास्तविकता है। लंबे समय तक भारत में जनसंख्या वृद्धि को विकास की शक्ति और श्रमबल की उपलब्धता के रूप में देखा जाता रहा, किंतु जैसे-जैसे जनसंख्या का दबाव भूमि, जल, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी व्यवस्थाओं पर बढ़ा, यह स्पष्ट होता गया कि अनियंत्रित वृद्धि देश की अनेक जटिल समस्याओं को जन्म दे रही है या उन्हें और गंभीर बना रही है।

भारत में जनसंख्या वृद्धि का स्वरूप जटिल है, क्योंकि एक ओर कुल प्रजनन दर में गिरावट देखी जा रही है, तो दूसरी ओर जनसंख्या का कुल आकार इतना विशाल है कि प्रतिवर्ष करोड़ों लोगों की वृद्धि अभी भी हो रही है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार देश की कुल प्रजनन दर लगभग 2.0 के आसपास आ चुकी है, जो प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से नीचे है, फिर भी जनसंख्या कई दशकों तक बढ़ती रहेगी क्योंकि देश में प्रजनन आयु वर्ग की आबादी अत्यधिक बड़ी है। इस स्थिति को जनसांख्यिकीय जड़त्व या पॉपुलेशन मोमेंटम कहा जाता है, जिसके कारण प्रजनन दर घटने के बावजूद कुल जनसंख्या बढ़ती रहती है। यही कारण है कि भारत की समस्याओं का संबंध केवल जन्मदर से नहीं, बल्कि पहले से मौजूद विशाल जनसंख्या आधार से भी है।

भारत की आर्थिक चुनौतियों को समझने में जनसंख्या का प्रभाव सबसे स्पष्ट रूप से रोजगार क्षेत्र में दिखाई देता है। प्रत्येक वर्ष लाखों युवा कार्यबल में प्रवेश करते हैं, किंतु उद्योग, सेवा और कृषि क्षेत्र इतने रोजगार सृजित नहीं कर पाते कि सभी को समुचित अवसर मिल सके। परिणामस्वरूप बेरोजगारी और अधरोजगारी दोनों बढ़ती हैं, जिससे सामाजिक असंतोष, प्रवासन और अनौपचारिक क्षेत्र पर निर्भरता बढ़ जाती है। जब श्रम की आपूर्ति अत्यधिक हो और अवसर सीमित हों, तो मजदूरी का स्तर भी दबाव में रहता है, जिससे गरीबी उन्मूलन की गति धीमी पड़ जाती है। इस प्रकार जनसंख्या का दबाव सीधे-सीधे आर्थिक असमानता और रोजगार संकट से जुड़ जाता है।

शिक्षा व्यवस्था पर जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव भी अत्यंत गहरा है। देश में प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक संस्थानों की संख्या में वृद्धि अवश्य हुई है, लेकिन छात्र संख्या की तुलना में संसाधन अभी भी अपर्याप्त हैं। अनेक सरकारी विद्यालयों में शिक्षक-छात्र अनुपात मानकों से अधिक है, कक्षाओं में भीड़ है और बुनियादी सुविधाओं की कमी बनी रहती है। उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए प्रतिस्पर्धा इतनी तीव्र है कि लाखों योग्य छात्र सीटों के अभाव में वंचित रह जाते हैं। यह स्थिति केवल व्यक्तिगत अवसरों को सीमित नहीं करती, बल्कि देश की मानव संसाधन क्षमता को भी प्रभावित करती है।

स्वास्थ्य सेवाओं पर बढ़ती जनसंख्या का दबाव और भी स्पष्ट दिखाई देता है। अस्पतालों में भीड़, चिकित्सकों की कमी, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव और सरकारी योजनाओं के सीमित संसाधन—ये सभी समस्याएँ उस स्थिति से जुड़ी हैं जहाँ जनसंख्या वृद्धि की गति के अनुरूप स्वास्थ्य अवसंरचना का विस्तार नहीं हो पाता। भारत में प्रति हजार जनसंख्या पर चिकित्सकों और अस्पताल बेड की संख्या अभी भी विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। ऐसे में महामारी या आपात स्थितियों में स्वास्थ्य तंत्र पर अत्यधिक दबाव पड़ता है, जैसा कि कोविड-19 के दौरान देखा गया था।

जनसंख्या वृद्धि का सबसे गंभीर प्रभाव पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ता है। भूमि सीमित है, लेकिन आबादी लगातार बढ़ रही है, जिससे कृषि भूमि का विभाजन होता है, शहरीकरण बढ़ता है और जंगलों पर दबाव पड़ता है। जल संसाधनों की स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है। प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता पिछले दशकों में तेजी से घटी है और कई शहरों में जल संकट नियमित समस्या बन चुका है। जब अधिक लोग सीमित संसाधनों पर निर्भर होते हैं, तो पर्यावरणीय क्षरण, प्रदूषण और जैव विविधता में कमी जैसी समस्याएँ भी तीव्र हो जाती हैं।

शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव अव्यवस्थित विस्तार, झुग्गी बस्तियों की वृद्धि और बुनियादी सुविधाओं की कमी के रूप में दिखाई देता है। रोजगार और शिक्षा के अवसरों की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन बढ़ता है, जिससे शहरों की जनसंख्या उनकी नियोजित क्षमता से अधिक हो जाती है। परिणामस्वरूप सड़कों पर भीड़, सार्वजनिक परिवहन पर दबाव, कचरा प्रबंधन की समस्या और आवास संकट जैसी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। यह केवल शहरी प्रशासन की विफलता नहीं, बल्कि जनसंख्या और संसाधनों के असंतुलन का प्रत्यक्ष परिणाम है।

भारत में गरीबी और जनसंख्या वृद्धि के बीच गहरा संबंध है। जिन परिवारों की आय कम होती है, उनमें बच्चों की संख्या अधिक होने की प्रवृत्ति लंबे समय तक देखी गई है, जिससे संसाधनों का विभाजन और भी अधिक हो जाता है। हालांकि हाल के वर्षों में शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और परिवार नियोजन कार्यक्रमों के कारण यह प्रवृत्ति बदल रही है, फिर भी कुछ क्षेत्रों में उच्च जन्मदर अभी भी सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन से जुड़ी हुई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जनसंख्या नियंत्रण केवल स्वास्थ्य या परिवार नियोजन का विषय नहीं, बल्कि व्यापक सामाजिक विकास का प्रश्न भी है।

यह भी सत्य है कि जनसंख्या को केवल समस्या के रूप में देखना पूर्णतः उचित नहीं है। विशाल जनसंख्या भारत के लिए एक संभावित जनसांख्यिकीय लाभांश भी है, क्योंकि देश में कार्यशील आयु वर्ग की संख्या बड़ी है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भारत की लगभग 68 प्रतिशत आबादी 15 से 64 वर्ष के बीच है, जो आर्थिक विकास के लिए अनुकूल स्थिति मानी जाती है। किंतु यह लाभांश तभी वास्तविक संपदा बन सकता है जब शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हों। अन्यथा यही युवा जनसंख्या सामाजिक असंतोष और आर्थिक दबाव का कारण बन सकती है।

शुगर में ध्यान रखने योग्य बातें

पिंकी कुंडू

शुगर (डायबिटीज़) को कंट्रोल करने के लिए दवाएँ/गोलियाँ बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल या डॉक्टर की सलाह के बिना लेने से कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं।

शुगर की गोलियों के ज़्यादा इस्तेमाल के साइड इफ़ेक्ट

1. लो ब्लड शुगर (हाइपोग्लाइसीमिया)

चक्कर आना
पसीना आना
हाथ काँपना
बेहोशी
यह सबसे खतरनाक असर हो सकता है

2. पेट की समस्याएँ

मतली, उल्टी
डायरिया
पेट दर्द
(खासकर मेटफ़ॉर्मिन जैसी कुछ दवाएँ लेने के बाद)

3. वज़न बढ़ना

कुछ गोलियाँ वज़न बढ़ाती हैं (इंसुलिन बढ़ाने वाली दवाओं के कारण)

4. किडनी पर असर

ज़्यादा दवाएँ किडनी पर दबाव डाल सकती हैं, अगर पहले से किडनी की कोई समस्या है तो खतरा बढ़ जाता है

5. लिवर पर असर कुछ दवाएँ लिवर पर असर डालती हैं, लंबे समय तक ज़्यादा इस्तेमाल से लिवर डैमेज हो सकता है

6. विटामिन की कमी मेटफॉर्मिन का लंबे समय तक इस्तेमाल विटामिन B12 कम कर सकता है, इससे हाथ-पैरों में कमजोरी, सुन्नपन हो सकता है

7. दिल पर असर (कुछ दवाओं में) कुछ पुरानी दवाएं दिल के लिए खतरनाक हो सकती हैं

किन बातों का ध्यान रखें?

डॉक्टर की सलाह के बिना डोज़ न बढ़ाएं
दवाएं समय पर लें
शुगर रेगुलर चेक करें
डाइट + एक्सरसाइज पर ध्यान दें

ज़रूरी सलाहः- शुगर की गोलियां अचानक बंद करना या बहुत ज़्यादा लेना, दोनों ही खतरनाक हैं। हमेशा डॉक्टर की सलाह से इलाज करें।

क्या आपको अपनी आँखें रगड़ने की आदत है? आज ही बंद करें!

पिंकी कुंडू

अपनी आँखों को बार-बार रगड़ना एक साधारण आदत लग सकती है, लेकिन एक्सपर्ट्स के अनुसार, यह खतरनाक हो सकता है!

एक्सपर्ट्स कहते हैंः अपनी आँखों को ज़ोर से रगड़ना

1. कॉर्निया को नुकसान पहुँचा सकता है
2. केराटोकोनस (आँखों के आकार में बदलाव) हो सकता है
3. आँखें लाल हो जाती हैं, सूजन बढ़ जाती है

अपनी आँखों को गंदे हाथों से रगड़ना

1. बैक्टीरिया अंदर आ जाते हैं
2. कंजंक्टिवाइटिस (आँखों का इन्फेक्शन) हो सकता है

तो क्या करें?

अगर आपकी आँखों में खुजली होः- ठंडे पानी से सिकाई करें

अगर आपको सूखापन महसूस होः- आई ड्रॉप्स (लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स) का इस्तेमाल करें

* हमेशा अपने हाथ साफ़ रखें
* अपनी आँखों को धीरे से छुएँ

अगर समस्या बनी रहती है, तो डॉक्टर से सलाह लें – इसे नज़रअंदाज़ न करें!

सुबह की धूप – नेचुरल दवा!

पिंकी कुंडू

सूरज निकलने से लेकर सुबह करीब 7 से 9 बजे तक की धूप शरीर के लिए अमृत जैसी होती है

सुबह की धूप के कमाल के फायदे

* हड्डियां मजबूत होती हैं
* विटामिन D बनता है,
* कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बढ़ता है
* जोड़ों, घुटनों और पीठ के दर्द को कम करने में मदद करता है
* कमजोरी दूर करता है
* शरीर में एनर्जी बढ़ाता है
* थकान, कमजोरी कम होती है
* मन खुश रहता है
* स्ट्रेस कम होता है
* मूड फ्रेश रहता है
* नींद बेहतर होती है
* बॉडी क्लॉक (स्लीप साइकिल) सही रहती है

इसे कितनी देर लेना चाहिए?

* रोज़ाना 15–20 मिनट काफी हैं
* समयः सुबह 7 से 9 बजे

इसे कैसे लें?

* अपना चेहरा, हाथ और पैर धूप में रखें
* टहलें / प्राणायाम करें
* बिना सनस्क्रीन/क्रीम लगाए धूप में निकलें

इन गलतियों से बचें

* 10 के बाद तेज धूप
* कांच से आती धूप (विटामिन D नहीं देती)
* देर तक धूप में बैठना

धूप + सही डाइट = डबल फायदा

* कैल्शियमः दूध, तिल, रागी
* विटामिन Dः अंडे, फोर्टिफाइड दूध
* प्रोटीनः दाल, पनीर

किसके लिए ज़्यादा फायदेमंद है?

* जोड़ों का दर्द
* पीठ दर्द
* घुटने का दर्द
* कमज़ोरी
* विटामिन D की कमी वाले लोग

रोज़ाना धूप + डाइट + हल्की एक्सरसाइज़ = 80% समस्या नैचुरली कंट्रोल हो जाती है

भारत में व्यापक सूक्ष्म-पोषक तत्वों की कमीः एक मूक स्वास्थ्य संकट

भारत तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक विविधता वाला देश है, लेकिन इसके भीतर एक गंभीर और अक्सर अनदेखा किया जाने वाला स्वास्थ्य संकट छिपा हुआ है —

विटामिन D, विटामिन B12, प्रोटीन और कैल्शियम की व्यापक कमी।

यह समस्या केवल गरीब या कुपोषित वर्ग तक सीमित नहीं है, बल्कि शहरी, शिक्षित और आर्थिक रूप से सक्षम वर्ग भी इससे उतना ही प्रभावित है।

1. विटामिन D की कमी — धूप के देश में एक विडंबना

भारत जैसे धूप-प्रधान देश में विटामिन D की कमी होना अपने आप में चौंकाने वाला तथ्य है।

अनेक वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार 70% से 90% भारतीयों में विटामिन D का स्तर सामान्य से कम है, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में।

बड़े पैमाने पर किए गए विश्लेषण (जैसे Tata 1mg के 2.2 लाख से अधिक लोगों के डेटा) बताते हैं कि लगभग 75–80% वयस्कों में विटामिन D की कमी पाई गई, और सबसे अधिक प्रभावित वर्ग 25 वर्ष से कम आयु के युवा हैं।

इसके प्रमुख कारणः

इनडोर जीवनशैलीः दफ़्तरों में लंबे समय तक रहना, ऊँची इमारतों में रहना, स्क्रीन-आधारित जीवन।

वायु प्रदूषणः UVB किरणों को रोक देता है, जो त्वचा में विटामिन D बनने के लिए आवश्यक हैं।

गहरी त्वचा का रंग और पारंपरिक वस्त्र, जिससे त्वचा पर धूप कम पड़ती है।

आहार में कमीः मछली, अंडा, फोर्टिफ़ाइड दूध जैसे प्राकृतिक स्रोतों का सीमित सेवन।

स्वास्थ्य पर प्रभावः

विटामिन D केवल हड्डियों तक सीमित नहीं है। इसकी कमी सेः

ऑस्टियोपोरोसिस और रिकेट्स
मांसपेशियों की कमजोरी, थकान
रोग-प्रतिरोधक क्षमता में कमी
अवसाद, मधुमेह, हृदय रोग
कुछ प्रकार के कैंसर का जोखिम तक बढ़ जाता है।

2. विटामिन B12 की कमी — व्यापक लेकिन उपेक्षित विटामिन B12 की कमी भारत में स्थानिक (Endemic) बन चुकी है।

विभिन्न शोधों के अनुसार 40% से 70% भारतीयों में B12 की कमी पाई जाती है।

सीमांत (borderline) मामलों को जोड़ने पर यह आँकड़ा 60–70% तक पहुँच जाता है।

शहरी पेशेवरों पर किए गए एक अध्ययन में 57% पुरुष और लगभग 50% महिलाएँ B12 की कमी से ग्रस्त पाई गईं।

इतनी व्यापक क्यों है यह समस्या?

आहार कारणः

विटामिन B12 मुख्यतः पशु-आधारित खाद्य पदार्थों (मांस, मछली, अंडा) में पाया जाता है।

भारत में बड़ी आबादी शाकाहारी है, जिससे प्राकृतिक B12 का सेवन बहुत कम हो जाता है।

अवशोषण की समस्याः

पाचन संबंधी रोग, उम्र बढ़ना और कुछ दवाओं का लंबे समय तक सेवन B12 के अवशोषण को बाधित करता है।

इसके गंभीर प्रभावः

एनीमिया (खून की कमी)
अत्यधिक थकान
याददाश्त और एकाग्रता में कमी
अवसाद
हाथ-पैरों में झुनझुनी या सुन्नता
लंबे समय तक कमी रहने पर स्थायी तंत्रिका क्षति

3. प्रोटीन और कैल्शियम — कम चर्चा, बड़ा असर हालाँकि राष्ट्रीय स्तर पर इनकी चर्चा कम होती है, लेकिनः

बड़ी संख्या में भारतीय, विशेषकर महिलाएँ, बच्चे और निम्न-आय वर्ग,

अनुशंसित मात्रा (RDA) से कम प्रोटीन और कैल्शियम लेते हैं।

यह स्थितिः

विटामिन D की कमी के प्रभाव को और बढ़ा देती है

हड्डियों को कमजोर बनाती है

ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर का जोखिम बढ़ाती है

4. सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रभाव यह पोषण संकट जीवन के हर चरण को प्रभावित करता है।

अल्पकालिक प्रभावः

थकान
मांसपेशियों की कमजोरी
मूड स्विंग्स
ध्यान और सोचने की क्षमता में कमी
बच्चों में विकास में देरी और हड्डियों की विकृति (रिकेट्स)

दीर्घकालिक खतरेः

वृद्धावस्था में हड्डियाँ टूटने का उच्च जोखिम
तंत्रिका तंत्र को स्थायी नुकसान
मधुमेह, हृदय रोग जैसे गैर-संचारी रोगों का बढ़ता खतरा

5. भारत में यह समस्या इतनी व्यापक क्यों है? इस विरोधाभास के पीछे कई कारण एक साथ काम करते हैंः

जीवनशैली और शहरीकरण आधुनिक जीवनशैली ने हमें धूप और शारीरिक गतिविधि दोनों से दूर कर दिया है।

आहार संबंधी आदतें शाकाहार प्रधान आहार + कम फोर्टिफ़ाइड भोजन = B12 और प्रोटीन की कमी।

जागरूकता और जांच की कमी अधिकांश लोग तब तक जांच नहीं कराते जब तक लक्षण गंभीर न हो जाएँ।

नीतिगत कमी नमक में आयोडीन की तरह विटामिन D और B12 के लिए कोई राष्ट्रीय फोर्टिफिकेशन नीति अभी प्रभावी रूप से लागू नहीं है।

6. हालिया रुझान और प्रयास

स्वास्थ्य विशेषज्ञ अब इसे "मूक महामारी" कह रहे हैं।

बड़े स्तर पर स्क्रीनिंग, जन-जागरूकता और फोर्टिफ़िकेशन कार्यक्रमों की माँग बढ़ रही है।

मीडिया और अकादमिक जगत में समय पर पहचान, संतुलित आहार और सुरक्षित सप्लीमेंटेशन पर ज़ोर दिया जा रहा है।

7. सारांश (Key Takeaways)

पोषक तत्व	भारत में अनुमानित कमी	मुख्य कारण	प्रमुख प्रभाव
विटामिन D	70–90%	कम धूप, प्रदूषण	कमजोर हड्डियाँ, थकान
विटामिन B12	40–70%	शाकाहार	एनीमिया, तंत्रिका क्षति
प्रोटीन / कैल्शियम	व्यापक कमी	आहार गुणवत्ता	मांसपेशी व हड्डी कमजोरी

व्यक्तिगत स्तर पर क्या किया जा सकता है?

* समय-समय पर रक्त जांच कराएँ
* रोज़ाना 15–20 मिनट सुरक्षित धूप लें
* आहार में प्रोटीन और फोर्टिफ़ाइड खाद्य पदार्थ शामिल करें
* डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट लें।

महादेव क्यों कहलाए अर्धनारीश्वर? जानिए शिव-शक्ति के मिलन और 8 महा-सिद्धियों का गुप्त रहस्य

हिंदू धर्म में भगवान शिव के अनेक स्वरूपों की पूजा होती है, लेकिन अर्धनारीश्वर स्वरूप सबसे विशिष्ट और गहरा अर्थ रखने वाला माना जाता है। यह स्वरूप केवल एक प्रतिमा नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के उस संतुलन का प्रतीक है जहां पुरुष और प्रकृति एक-दूसरे में...

हिंदू धर्म में भगवान शिव के अनेक स्वरूपों की पूजा होती है, लेकिन अर्धनारीश्वर स्वरूप सबसे विशिष्ट और गहरा अर्थ रखने वाला माना जाता है। यह स्वरूप केवल एक प्रतिमा नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के उस संतुलन का प्रतीक है जहां पुरुष और प्रकृति एक-दूसरे में समाहित हैं। तो आइए जानते हैं इस अद्भुत अवतार के पीछे की पौराणिक कथा और देवी से प्राप्त उन 8 महा-सिद्धियों का रहस्य।

अर्धनारीश्वर स्वरूप की कथा: जब सृष्टि को मिली पूर्णता

पौराणिक कथाओं के अनुसार, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना शुरू की, तो उन्होंने केवल 'पुरुष' तत्वों का निर्माण किया। काफी समय बीतने के बाद भी सृष्टि का विस्तार नहीं हो पा रहा था क्योंकि प्रजनन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी। ब्रह्मा जी चिंतित होकर महादेव की शरण में गए और उनसे मैथुनी सृष्टि का मार्ग पूछा।

ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए। उनके शरीर का दाहिना भाग साक्षात 'शिव' था और बायां भाग आदि शक्ति पार्वती। इस रूप के दर्शन देकर महादेव ने यह संदेश दिया कि पुरुष और स्त्री एक-दूसरे के पूरक हैं और उनके मिलन के बिना सृजन संभव नहीं है। इसके बाद देवी शक्ति ने ब्रह्मा जी को अपनी शक्तियों से एक अन्य नारी स्वरूप प्रदान किया, जिससे संसार का विस्तार शुरू हुआ।

शक्ति से प्राप्त 8 महा-सिद्धियों का रहस्य

भगवान शिव को 'सिद्धेश्वर' भी कहा जाता है। मान्यता है कि जब महादेव ने शक्ति को अपने शरीर के आधे भाग में स्वीकार किया, तब उन्हें देवी के माध्यम से आठ महा-सिद्धियां प्राप्त हुईं। ये सिद्धियां ही महादेव को सर्वशक्तिमान बनाती हैं।

अणिमा: अपने शरीर को अणु के समान सूक्ष्म (छोटा) कर लेने की शक्ति।

महिमा: शरीर को असीमित रूप से विशाल और बड़ा बना लेने की क्षमता।

गरिमा: अपने शरीर के भार को अनंत गुना भारी कर लेने की शक्ति।

लघिमा: शरीर को इतना हल्का बना लेना कि वह हवा में उड़ सके या पानी पर चल सके।

प्राप्ति: बिना किसी बाधा के किसी भी स्थान पर पहुंच जाना और इच्छित वस्तु प्राप्त कर लेना।

प्राकाम्य: मन की हर इच्छा को तुरंत पूर्ण कर लेने की सामर्थ्य।

ईशित्व: ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और जीवों पर पूर्ण आधिपत्य और नियंत्रण।

वशित्व: किसी को भी वश में करने या पराजित करने की अजेय शक्ति।

अर्धनारीश्वर स्वरूप का आध्यात्मिक संदेश

समानता का प्रतीक: यह स्वरूप सिखाता है कि शिव और शक्ति अलग नहीं हैं। शक्ति के बिना

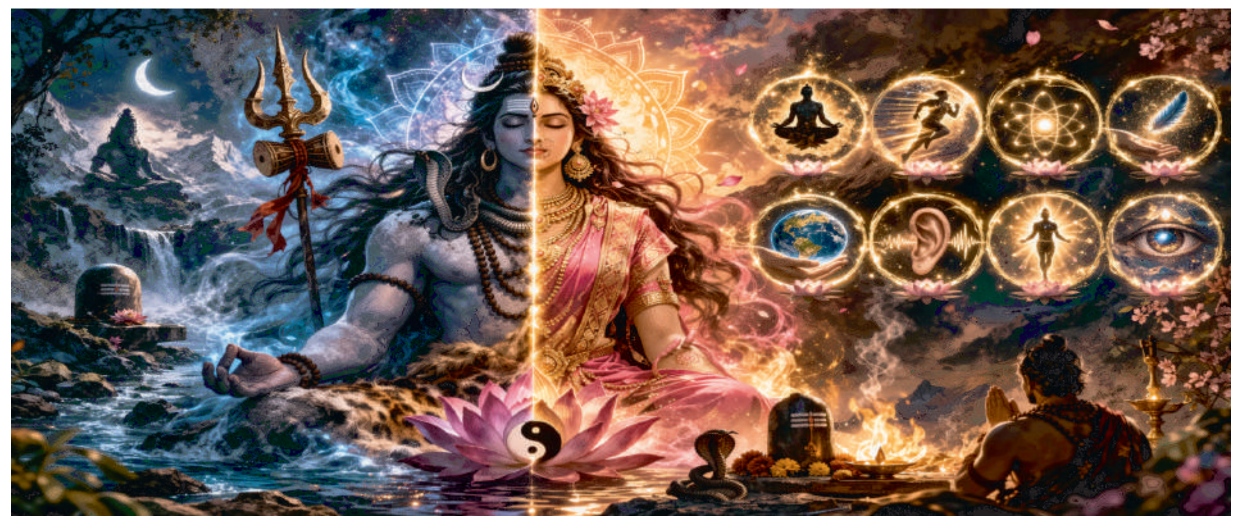

शिव 'शव' समान हैं और शिव के बिना शक्ति आधारहीन।

भीतर का संतुलन: हर मनुष्य के भीतर भी शिव और शक्ति दोनों वास करते हैं। जब इन दोनों का संतुलन होता है, तभी व्यक्ति आत्म-साक्षात्कार कर पाता है।

सम्मान की भावना: यह अवतार समाज को संदेश देता है कि स्त्री और पुरुष का दर्जा एक समान है; न कोई श्रेष्ठ है, न कोई निम्न।

क्या वाकई 3:40 AM पर जागने वाले किस्मत के धनी होते हैं? जानिए इससे जुड़े 6 बड़े राज

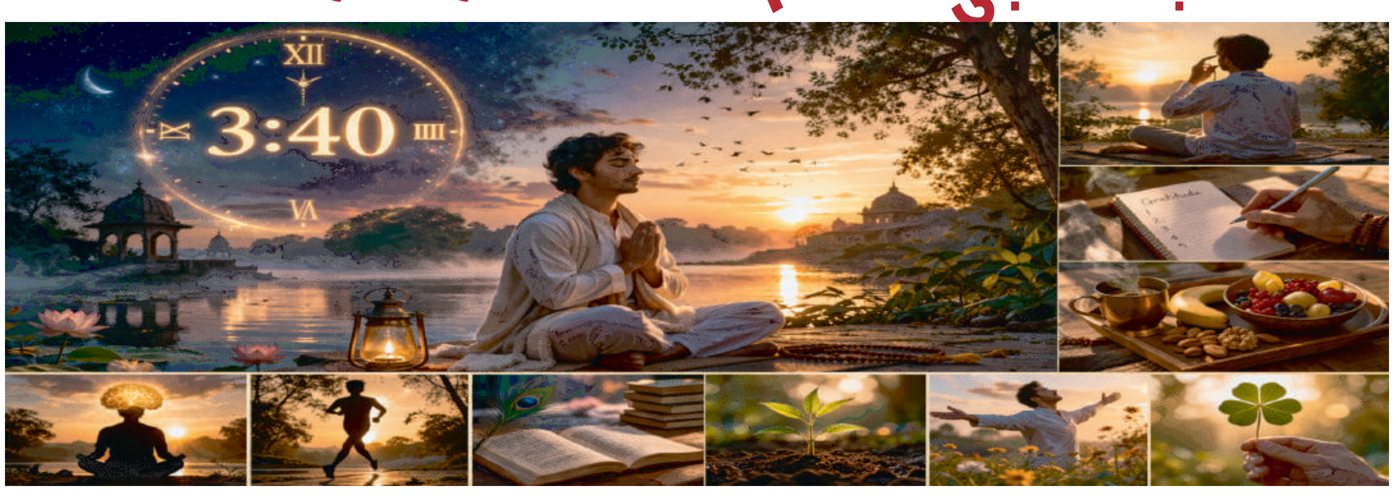

हिंदू शास्त्रों और आयुर्वेद में सुबह के समय को अमृत बेला माना गया है। अक्सर हम सुनते हैं कि सफल लोग सूरज उगने से पहले अपना दिन शुरू कर देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुबह 3:40 से 4:48 के बीच का समय, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, इतना खास...

हिंदू शास्त्रों और आयुर्वेद में सुबह के समय को अमृत बेला माना गया है। अक्सर हम सुनते हैं कि सफल लोग सूरज उगने से पहले अपना दिन शुरू कर देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुबह 3:40 से 4:48 के बीच का समय, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, इतना खास क्यों है। माना जाता है कि इस समय जागने वाले व्यक्ति पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। तो आइए जानते हैं वे 6 गहरे राज जो इस समय जागने वालों की किस्मत बदल देते हैं।

ब्रह्मांडीय ऊर्जा का उच्चतम स्तर

ब्रह्म मुहूर्त के समय वातावरण में 'सत्व' गुण की प्रधानता होती है। इस समय ब्रह्मांड से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा अपने चरम पर होती है। जो व्यक्ति इस समय जागता है, उसका शरीर इस ऊर्जा को सोख लेता है, जिससे वह दिनभर उत्साहित और फुर्तीला महसूस करता है।

मानसिक स्पष्टता और सुपर क्रिएटिविटी

वैज्ञानिक रूप से देखें तो इस समय शोर-शराबा शून्य होता है और ऑक्सीजन का स्तर सबसे शुद्ध होता है। इस शांत माहौल में मस्तिष्क की कार्यक्षमता बढ़ जाती है। यदि आप कोई नया विचार सोचना चाहते हैं या जटिल समस्या का हल ढूंढ रहे हैं, तो 3:40 AM का समय आपके दिमाग को 'सुपर कंप्यूटर' की तरह तेज बना सकता है।

देवताओं का समय और आध्यात्मिक जागृति

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस काल में देवी-देवता और पवित्र आत्माएं विचरण करती हैं। इस समय की गई प्रार्थना या ध्यान सीधे ईश्वर तक पहुँचता है। यही कारण है कि इस समय जागने वालों का मन शांत रहता है और उनमें आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है।

फेफड़ों और त्वचा के लिए अमृत

सुबह की ताजी हवा में नवजात ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। जब आप इस समय गहरी सांस लेते हैं, तो यह आपके फेफड़ों को शुद्ध करती है और रक्त संचार को बेहतर बनाती है। इसका सीधा असर आपकी त्वचा की चमक और लंबी उम्र के रूप में दिखता है।

सफलता का एक्स्ट्रा एज

दुनिया के अधिकांश सफल लीडर्स ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं। 3:40 AM पर जागने से आपको दुनिया से 2-3 घंटे अतिरिक्त मिलते हैं। जब बाकी दुनिया सो रही होती है, तब आप अपने लक्ष्य पर काम कर रहे होते हैं। यह अनुशासन ही आपको 'किस्मत का धनी' और दूसरों से आगे बनाता है।

तनाव और अवसाद से मुक्ति

आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव आम है। ब्रह्म मुहूर्त में जागकर ध्यान करने से शरीर में सेरोटोनिन और डोपामाइन का स्तर संतुलित रहता है। यह मानसिक रोगों को दूर रखने का सबसे प्राकृतिक और अचूक तरीका है।

किस दिन मनाई जाएगी अप्रैल को मेष संक्रांति, नोट कर लें पूजा का सबसे सटीक मुहूर्त

हिंदू पंचांग और ज्योतिष शास्त्र में मेष संक्रांति का विशेष महत्व है, क्योंकि इसी दिन सूर्य देव मीन राशि की अपनी यात्रा समाप्त कर मंगल की राशि मेष में प्रवेश करते हैं।

हिंदू पंचांग और ज्योतिष शास्त्र में मेष संक्रांति का विशेष महत्व है, क्योंकि इसी दिन सूर्य देव मीन राशि की अपनी यात्रा समाप्त कर मंगल की राशि मेष में प्रवेश करते हैं। साल 2026 में यह अवसर बेहद खास होने वाला है, क्योंकि यह न केवल ऋतु परिवर्तन का संकेत है, बल्कि भारतीय सौर नववर्ष की शुरुआत भी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन किया गया स्नान, दान और सूर्य उपासना अक्षय पुण्य प्रदान करती है। इस दिन सूर्य के उत्तरायण काल में होने के कारण सकारात्मक ऊर्जा का संचार चरम पर होता है। तो आइए जानते हैं मेष संक्रांति के शुभ मुहूर्त और शुभ योग के बारे में-

मेष संक्रांति 2026 की तिथि और शुभ समय

इस वर्ष 14 अप्रैल को सूर्य देव मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जिसे मेष संक्रांति के रूप में मनाया जाएगा। धार्मिक दृष्टि से इस दिन दान-पुण्य का विशेष महत्व है।

पुण्य काल: सुबह 05:28 से दोपहर 01:53 तक।

महा पुण्य काल: सुबह 07:31 से दोपहर 11:46 तक ।

मेष संक्रांति 2026 का अद्भुत संयोग और मंगलकारी योग

ज्योतिष गणना के अनुसार, इस बार मेष संक्रांति पर शिववास योग का निर्माण हो रहा है जो रात 12:12 तक रहेगा। इसके अतिरिक्त, दोपहर 11:24 से 12:15 तक अभिजीत मुहूर्त भी रहेगा। कौलव और तैतिल करण जैसे शुभ योगों की उपस्थिति इस दिन की महत्ता को और बढ़ा रही है। इन शुभ मुहूर्तों में सूर्य देव की आराधना करने से जीवन में सुख-समृद्धि और अटके हुए कार्यों में सफलता प्राप्त होती है।

नेगेटिव एनर्जी से हैं परेशान ? जानें वास्तु के अनुसार हनुमान जी की तस्वीर लगाने की सही दिशा और नियम

अक्सर हम कड़ी मेहनत और साफ-सफाई के बावजूद घर में उस शांति का अनुभव नहीं कर पाते, जिसकी हमें तलाश होती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, इसका एक मुख्य कारण घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है, जो हमारे स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि में बाधक बनती है।

अक्सर हम कड़ी मेहनत और साफ-सफाई के बावजूद घर में उस शांति का अनुभव नहीं कर पाते, जिसकी हमें तलाश होती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, इसका एक मुख्य कारण घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है, जो हमारे स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि में बाधक बनती है। भारतीय अध्यात्म और वास्तु विज्ञान में हनुमान जी को संकटमोचन कहा गया है, यानी वे जो हर संकट को हर लेते हैं। उनकी उपस्थिति मात्र से ही नकारात्मक शक्तियां और वास्तु दोष दूर भागने लगते हैं। लेकिन, हनुमान जी की कृपा पाने और घर की ऊर्जा को सकारात्मक बनाने के लिए उनकी तस्वीर को केवल दीवार पर टांग देना काफी नहीं है।वास्तु के अनुसार, हनुमान जी की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करने के विशिष्ट नियम और दिशाएं निर्धारित हैं। गलत दिशा में लगाई गई तस्वीर न केवल इसके लाभ को कम कर सकती है, बल्कि अनजाने में नई परेशानियां भी खड़ी कर सकती है। तो आइए जानते हैं सही नियम के बारे में-

सबसे उत्तम दिशा: दक्षिण

वास्तु शास्त्र के अनुसार, हनुमान जी की तस्वीर लगाने के लिए दक्षिण दिशा सबसे प्रभावशाली मानी जाती है।

कारण: हनुमान जी ने अपनी शक्तियों का सर्वाधिक प्रदर्शन दक्षिण दिशा (लंका) में किया था।

Vastu Tips : वास्तु दोष से हैं परेशान ? गोधूलि बेला में दीया जलाने का ये सीक्रेट नियम बदल देगा आपकी...

लाभ: दक्षिण दिशा से आने वाली नकारात्मक शक्तियों को हनुमान जी रोक देते हैं। इस दिशा में चित्र लगाने से घर के सदस्यों का आत्मविश्वास बढ़ता है और अकाल मृत्यु का भय दूर होता है।

पंचमुखी हनुमान: संकटों का काल

यदि आपको लगता है कि घर पर किसी की 'बुरी नजर' है या ऊपरी बाधाओं का डर रहता है, तो मुख्य द्वार के ऊपर पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगाएं। इसे प्रवेश द्वार के ठीक ऊपर अंदर या बाहर की तरफ लगाया जा सकता है। यह घर के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है।

पर्वत उठाते हुए हनुमान जी

यदि परिवार के सदस्यों में साहस की कमी है या आप किसी बड़े कार्य में सफलता चाहते हैं, तो पहाड़ उठाए हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। इसे उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना शुभ होता है। यह तस्वीर दर्शाती है कि कोई भी बाधा इतनी बड़ी नहीं जिसे पार न किया जा सके।

पीले रंग के वस्त्र वाले हनुमान

वास्तु के अनुसार, पीले रंग के वस्त्र पहने हुए हनुमान जी की तस्वीर लगाना बहुत शुभ होता है। पीला रंग सकारात्मकता और सुख-समृद्धि का प्रतीक है। इसे घर की बैठक में लगाना चाहिए।

भूलकर भी न करें ये गलतियां

Bedroom में न लगाएं: हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, इसलिए उनकी तस्वीर कभी भी बेडरूम में नहीं लगानी चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन में तनाव आ सकता है।

सीढ़ियों के नीचे या शौचालय के पास: अपवित्र स्थानों या सीढ़ियों के नीचे तस्वीर लगाने से वास्तु दोष बढ़ता है और घर में बीमारियां आती हैं।

अस्थिर चित्र: ऐसी तस्वीर न लगाएं जिसमें हनुमान जी ने किसी का वध किया हो या वे अत्यंत क्रोधित अवस्था में हों। हमेशा स्थिर, शांत या आशीर्वाद मुद्रा वाली तस्वीर चुनें।

मिट्टी सा ठहराव या आग सा गुस्सा ? पहचानिए आपके मानसिक स्वास्थ्य पर किस तत्व का है पहरा

मानसिक रूप से स्वस्थ होने का क्या अर्थ है? मानसिक रूप से स्वस्थ होने का अर्थ है, शांत और स्थिर होना और भीतर से भावनात्मक रूप से कोमल होना। जब आप भीतर से कोमल महसूस करते हैं, जब मन प्रवाह में होता है या निर्णायक (जजमेंटल) नहीं होता, तब वह स्वस्थ होता...

मानसिक रूप से स्वस्थ होने का क्या अर्थ है ? मानसिक रूप से स्वस्थ होने का अर्थ है, शांत और स्थिर होना और भीतर से भावनात्मक रूप से कोमल होना। जब आप भीतर से कोमल महसूस करते हैं, जब मन प्रवाह में होता है या निर्णायक (जजमेंटल) नहीं होता, तब वह स्वस्थ होता है। मानसिक स्वास्थ्य उस प्रवाह का नाम है जो हमारे अंतरतम से बाहरी दुनिया तक और बाहरी दुनिया से भीतर तक चलता है। जीवन की चार विशेषताएं हैं: उसका अस्तित्व है, वह विकसित होता है, अभिव्यक्त होता है, और समाप्त होता है। जीवन इन चारों पहलुओं के लिए पांच तत्वों, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश (ईथर) और अग्नि पर निर्भर है। संपूर्ण ब्रह्मांड, जिसमें हमारा शरीर और मन भी शामिल है, इन तत्वों से बना है। प्रत्येक तत्व एक इंद्रिय से जुड़ा है: पृथ्वी से गंध, जल से स्वाद, वायु से स्पर्श, आकाश से ध्वनि, और अग्नि से रूप। ये सभी तत्व सूक्ष्म रूप से हमारे भीतर मौजूद हैं। हमारा मन भी इन पांच सूक्ष्म तत्वों से बना है, और प्रत्येक तत्व बारी-बारी से मन पर प्रभाव डालता है। यह प्रकृति का नियम है। कोई भी तत्व हमेशा प्रभावी नहीं रहता। बारिश होती है, आप उसे रोक नहीं सकते। हवा चलती है,आप उसे रोक नहीं सकते। सूरज चमकता है, आप उसे रोक नहीं सकते। यह सब अपने आप होता रहता है, और ये घटनाएं हमारे मन पर सूक्ष्म प्रभाव डालती हैं। उसी तरह, ये पांच तत्व भी मन पर हावी होते हैं और भिन्न-भिन्न भावनाएँ और अनुभव उत्पन्न करते हैं। यह बहुत रोचक और मूल्यवान ज्ञान है।आम तौर पर, हम अपने भावों और अनुभवों को पांच मुख्य श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहला है भारीपन का अनुभव, जो पृथ्वी तत्व से जुड़ा है। दूसरा है गर्मी या जलन का अनुभव, जो अग्नि तत्व से संबंधित है। यदि किसी में क्रोध, तनाव या जलन अधिक है, तो अग्नि तत्व प्रमुख होता है। कहीं भाग जाने या लगातार गतिशील रहने की इच्छा वायु तत्व के कारण होती है। एकता, मेल-जोल, या प्रवाह का अनुभव जल तत्व से जुड़ा है। आकाश तत्व भय, प्रेम, असहजता या पूर्ण सहजता का संचालन करता है।

जब हम इन तत्वों के साथ अपनी पहचान जोड़ लेते हैं, तो हम इनके प्रभाव में बह जाते हैं। आपने देखा होगा कि कभी-कभी आप गुस्से में कुछ कह देते हैं और बाद में पछताते हैं, क्योंकि उस क्षण आप अपने आप को 'क्रोध' के साथ जोड़ लेते हैं। ज्ञान यह है कि आप इन पाँच तत्वों में से कोई भी नहीं हैं। और यह भी समझना है कि कोई भी तत्व स्थायी नहीं है। यदि आप ध्यान से देखें, तो ये कुछ समय के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं, ये बदलते रहते हैं। लेकिन यदि आप इस बात से अनजान हैं, तो कोई एक तत्व लंबे समय तक बना रह सकता है, क्योंकि आप उसे छोड़ते नहीं हैं। यही बंधन कहलाता है।

वास्तव में कोई भी चीज आपको बांध नहीं सकती ।आप केवल उसी को बांध सकते हैं जो पहले से ही गतिशील है ! विडंबना यह है कि ये पांच तत्व आपको नहीं बांधते, बल्कि आप ही उन्हें पकड़कर रखते हैं। यह ऐसे है जैसे कोई मक्खी कमरे से बाहर निकलना चाहती है, लेकिन आप उसे रोक देते हैं, दरवाज़ा बंद कर देते हैं। कुछ बाहर जाना चाहता है, पर आप उसे जाने नहीं देते, आप उसे नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। स्वतंत्रता तब अनुभव में आती है जब आप यह समझते हैं कि आप केवल एक साक्षी हैं, जो कुछ भी हो रहा है, उसके दर्शक। आप शुद्ध चेतना हैं, किसी भी घटना या अनुभव से अछूते और निर्मल आकाश की तरह। जब यह समझ आपके भीतर स्थापित हो जाती है, तब आप पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं। और यह कब संभव है ? अभी, इसी क्षण।

आमजन की प्रत्येक शिकायत का त्वरित समाधान करें अधिकारी : डीसी

समाधान शिविरों में अभी तक कुल शिकायतें 5789 प्राप्त केवल 161 पेंडिंग

झज्जर, 03 अप्रैल। डीसी स्वप्निल रविन्द्र पाटिल ने समाधान शिविर की साप्ताहिक समीक्षा करते हुए कहा कि आम जन की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान करने के लिए प्रशासन सजग है।

अभी तक समाधान शिविरों में कुल शिकायतें 5789 प्राप्त हुई हैं जिनमें केवल 161 पेंडिंग है। समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारी तत्परता से कार्य करें

डीसी ने बताया कि जिला में आयोजित हो रहे समाधान शिविरों में अभी तक कुल 5789 शिकायत प्राप्त हुई हैं इनमें से केवल 161 पेंडिंग हैं। पेंडिंग शिकायतों का निवारण प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है।

डीसी ने जिलाभर के अधिकारियों के साथ बैठक कर समाधान शिविरों के संचालन को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपने विभाग से संबंधित प्रत्येक शिकायत का समाधान संवेदनशीलता व गंभीरता से करें। नागरिकों की बातों को ध्यान से सुनें और उनको बताएं कि आपकी समस्या का समाधान तय समय सीमा में कर दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि सभी विभागाध्यक्ष अगली बैठक में अपने विभाग से संबंधित सभी शिकायतों का अद्यतन एवं संपूर्ण डाटा साथ लेकर पहुंचे, ताकि लंबित शिकायतों की बिंदुवार समीक्षा संभव हो सके।

इस अवसर पर एडीसी जगनिवास, डीएफसी साहिती रेड्डी, एसडीएम बेरी रेणुका नांदल, सीटीएम ऋतु बंसीवाल, डीआरओ मनबीर सांगवान, एसीपी अनिरुद्ध चौहान सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

उपभोक्ताओं को निर्बाध रूप से प्राप्त हो गैस सिलेंडर की सप्लाई : डीसी

-डीसी स्वप्निल रविन्द्र पाटिल ने अधिकारियों व डीलरों के साथ की बैठक

झज्जर, 03 अप्रैल। डीसी स्वप्निल रविन्द्र पाटिल ने अधिकारियों और गैस एजेंसी संचालकों को निर्देश दिए कि निर्बाध रूप से गैस सिलेंडर की सप्लाई सुनिश्चित करें। डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल शुक्रवार को घरेलू एलपीजी गैस की आपूर्ति तथा उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों व डीलरों के साथ एलपीजी गैस, पेट्रो पदार्थों की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। डीसी ने निर्देश दिए कि केवल वास्तविक उपभोक्ता को ही गैस की सप्लाई सुनिश्चित की जाए। वहीं संबंधित अधिकारी जिला में यह सुनिश्चित करें कि घरेलू गैस का कहीं भी कोई कमर्शियल प्रयोग तो नहीं किया जा रहा है। ऐसे व्यक्तियों और दुकानदारों पर तुरंत कड़ी कार्रवाई करें। उन्होंने सभी एजेंसी संचालकों को निर्देश दिए कि जिले में एलपीजी की आपूर्ति सुचारू रूप से जारी रखें तथा उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न होने दें।

डीसी ने कहा कि जिला में घरेलू एलपीजी गैस की सप्लाई सुचारू और सामान्य रूप से जारी है। उपभोक्ताओं को एलपीजी प्राप्त करने के लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा हर घर में रसोई गैस पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाई जा रही है। केवल एक गैस उपभोक्ता को एक ही कॉपी पर एक गैस सिलेंडर की सप्लाई की जा रही है, जिसके लिए मोबाइल ओटीपी अनिवार्य है।

डीसी ने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति एलपीजी का अनावश्यक भंडारण करता है तो इसकी सूचना तुरंत जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ हेल्पलाइन नंबर 01251-254270 पर दें ताकि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जा सके। उन्होंने निर्देश दिए कि एलपीजी गैस की बुकिंग या वितरण से संबंधित किसी भी उपभोक्ता को यदि परेशानी आती है तो संबंधित एजेंसी द्वारा उसका शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाए।

इस अवसर पर डीएफओ साहिती, डीएफएससी राजेश्वर मुदगिल, एएफएसओ अमरजीत सिंह, सुमित कुमार तथा जिला के सभी एजेंसी संचालक सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

टीबी उन्मूलन अभियान के तहत अनेक गतिविधियां जारी : सीएमओ

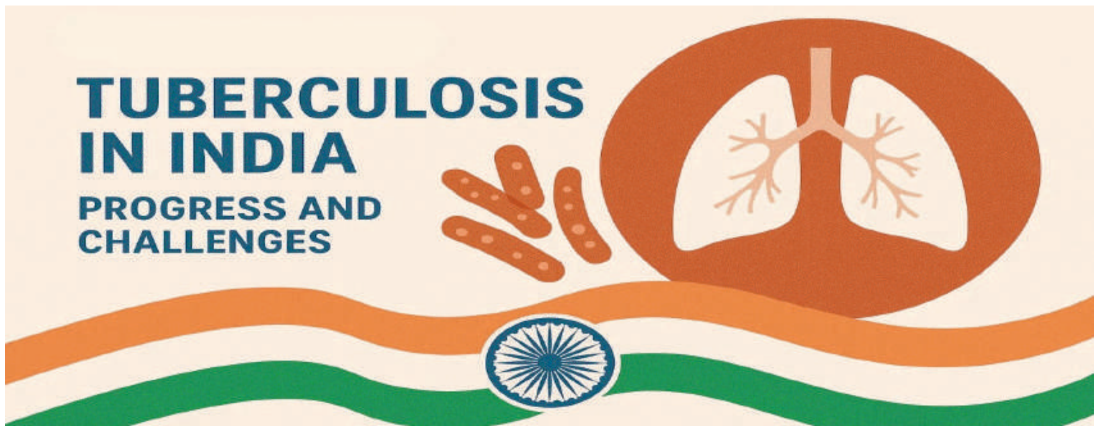

परिवहन विशेष न्यूज

झज्जर, 03 अप्रैल। सिविल सर्जन डॉ. मंजू कादयान ने बताया कि जिला में राष्ट्रीय क्षयरोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत क्षय रोग (टीबी) के उन्मूलन हेतु विभिन्न गतिविधियों का प्रभावी रूप से संचालन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत निक्षय शिविरों का आयोजन, टीबी मुक्त भारत अभियान, व्यापक स्क्रीनिंग पहल, जन-जागरूकता अभियान जैसी महत्वपूर्ण गतिविधियां निरंतर चलाई जा रही हैं।

सीएमओ ने बताया कि इसी कड़ी में सक्रिय केस खोज अभियान 2.0 की शुरुआत की गई है जोकि आगामी 100 दिनों तक चलेगा। यह विशेष अभियान उच्च जोखिम एवं संवेदनशील वर्गों पर केंद्रित है, जिनमें स्लम एरिया में रहने वाले लोग, प्रवासी श्रमिक, बुजुर्ग, कुपोषित व्यक्ति तथा पूर्व में टीबी से ग्रसित मरीज शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सामुदायिक स्तर पर व्यापक स्क्रीनिंग के माध्यम से टीबी के संभावित रोगियों की शीघ्र पहचान करना तथा उन्हें समय पर उपचार से जोडना है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा घर-घर जाकर लक्षणों की जांच, बलगम परीक्षण हेतु नमूना संग्रहण तथा आवश्यक परामर्श प्रदान किया जा रहा है।

टीबी के लक्षणों की जानकारी देते हुए बताया कि लगातार खांसी, बुखार, वजन कम होना या रात में पसीना आने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। टीबी का उपचार पूरी तरह निःशुल्क एवं सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में उपलब्ध है।

उन्होंने कहा कि सामूहिक प्रयासों एवं जनसहभागिता के माध्यम से ही टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि वे इस अभियान में सक्रिय रूप से स्वास्थ्य विभाग का सहयोग करें।

स्वास्थ्य जांच शिविरों में डॉक्टरों ने जांचा मरीजों का स्वास्थ्य

टीबी उन्मूलन अभियान के तहत अनेक गतिविधियां जारी : सीएमओ

परिवहन विशेष न्यूज

झज्जर, 03 अप्रैल। सिविल सर्जन डॉ. मंजु कादयान ने बताया कि जिला में डीसी स्वप्निल रविन्द्र पाटिल के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय क्षयरोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत क्षय रोग (टीबी) के उन्मूलन हेतु विभिन्न गतिविधियों का प्रभावी रूप से संचालन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत निक्षय शिविरों का आयोजन, टीबी मुक्त भारत अभियान, व्यापक स्क्रीनिंग पहल, जन-जागरूकता अभियान जैसी महत्वपूर्ण गतिविधियां निरंतर चलाई जा रही हैं।

उन्होंने बताया कि शुक्रवार को अभियान के तहत झज्जर स्थित अनाज मंडी, आयुष्मान आरोग्य मंदिर-याकूबपुर, दरियापुर, पेलपा और सोंधी, आर्य महाविद्यालय गुरुकुल झज्जर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, खेड़ी जट्ट में कैंप लगाकर नागरिकों के हीमोग्लोबिन, शुगर जांच, एक्स-रे, बीपी आदि की जांच की गई तथा लोगों को टीबी व अन्य रोगों के बारे में जागरूक किया गया।

यह अभियान 100 दिनों तक चलेगा। यह विशेष अभियान उच्च जोखिम एवं संवेदनशील वर्गों पर केंद्रित है, जिनमें स्लम एरिया में रहने वाले लोग, प्रवासी श्रमिक, बुजुर्ग, कुपोषित व्यक्ति तथा पूर्व में टीबी से ग्रसित मरीज शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सामुदायिक स्तर पर व्यापक स्क्रीनिंग के माध्यम से टीबी के संभावित रोगियों की शीघ्र पहचान करना तथा उन्हें समय पर उपचार से जोडना है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा घर-घर जाकर लक्षणों की जांच, बलगम परीक्षण हेतु नमूना संग्रहण तथा आवश्यक परामर्श प्रदान किया जा रहा है।

उन्होंने टीबी लक्षणों की जानकारी देते हुए बताया कि लगातार खांसी, बुखार, वजन कम होना या रात में पसीना आने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। टीबी का उपचार पूरी तरह निःशुल्क एवं सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में उपलब्ध है।

उन्होंने कहा कि सामूहिक प्रयासों एवं जनसहभागिता के माध्यम से ही टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि वे इस अभियान में सक्रिय रूप से स्वास्थ्य विभाग का सहयोग करें।

स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव का झज्जर दौरा आज

झज्जर,03 अप्रैल। हरियाणा की स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष मंत्री आरती सिंह राव शनिवार 4 अप्रैल को सुबह 9 बजे नजदीकी गांव खेड़ी-खातीवास में दादा सिराज मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। सरकारी प्रवक्ता ने यह जानकारी शुक्रवार को यहां दी। उन्होंने बताया कि इसके उपरांत कैबिनेट मंत्री आरती सिंह राव दोपहर 2 बजे जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित पार्टी मीटिंग में भाग लेते हुए कार्यकर्ताओं की समस्या सुनेंगी।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए झज्जर और बहादुरगढ़ में स्वास्थ्य जांच शिविर 7 अप्रैल को

झज्जर, 03 अप्रैल। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर 07 अप्रैल को वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित होंगे, यह शिविर बहादुरगढ़ के सेक्टर-06 स्थित सीनियर सिटीजन क्लब तथा झज्जर के सेक्टर-06 में लगेंगे।

सीजेएम एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विशाल ने जानकारी देते हुए बताया कि स्वास्थ्य जांच शिविर का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को एक ही स्थान पर विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सकीय सेवाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि शिविर में हड्डी रोग विशेषज्ञ, कान-नाक-गला विशेषज्ञ, त्वचा रोग विशेषज्ञ, मनोरोग विशेषज्ञ, दंत चिकित्सक, सामान्य चिकित्सक, नेत्र रोग विशेषज्ञ सहित अन्य विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध रहेंगी, ताकि वरिष्ठ नागरिकों को समुचित स्वास्थ्य परामर्श एवं जांच सुविधा मिल सके। उन्होंने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नियुक्त पैरा लीगल वालंटियर नीता देवी को बहादुरगढ़ तथा शिवधन को झज्जर में आयोजित शिविर में ड्यूटी लगाई गई है। उन्होंने सभी वरिष्ठ नागरिकों से अपील की है कि वे झज्जर व बहादुरगढ में आयोजित शिविरों का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपने स्वास्थ्य की नियमित जांच कराएं।

जिला कारागार में महिला बंदियों तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर 7 अप्रैल को

सीजेएम एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विशाल ने दी जानकारी

झज्जर, 03 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर 7 अप्रैल को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झज्जर द्वारा जिला जेल परिसर में महिला एवं वरिष्ठ नागरिक बंदियों के लिए विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया जाएगा। सीजेएम एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विशाल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस शिविर का उद्देश्य जेल में बंद महिला एवं बुजुर्ग कैदियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना और उनके स्वास्थ्य की नियमित जांच सुनिश्चित करना है।

उन्होंने बताया कि इस संबंध में सिविल सर्जन, झज्जर को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। शिविर में विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम मौजूद रहेगी, जिसमें हड्डी रोग विशेषज्ञ, ईएनटी विशेषज्ञ, त्वचा रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, मनोचिकित्सक, दंत चिकित्सक, सामान्य चिकित्सक तथा नेत्र विशेषज्ञ सहित अन्य आवश्यक चिकित्सक शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा शिविर के माध्यम से बंदियों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की जांच कर आवश्यक उपचार एवं परामर्श प्रदान किया जाएगा, ताकि उन्हें समय पर उचित चिकित्सा सुविधा मिल सके।

जनसहभागिता से मजबूत होगा स्थानीय वित्तीय ढांचा : डीसी

नागरिक गूगल फॉर्म के माध्यम से दे सकेंगे अपनी राय

झज्जर, 2 अप्रैल। डीसी स्वप्निल रविन्द्र पाटिल ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा 27 जून 2025 की अधिसूचना के तहत सातवें राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। यह आयोग संविधान के अनुच्छेद 243-आई एवं 243-वाई, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 213 तथा हरियाणा वित्त आयोग नियम, 1994 के अंतर्गत कार्य करते हुए राज्य में पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा।

डीसी ने बताया कि आयोग द्वारा पारदर्शी एवं सहभागी प्रक्रिया को अपनाते हुए आमजन, जनप्रतिनिधियों, संस्थानों, विषय विशेषज्ञों, संगठनों एवं अन्य हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। इसके लिए गूगल फॉर्म के माध्यम से सुझाव देने की व्यवस्था की गई है, ताकि अधिक से अधिक लोग अपनी राय सहजता से साझा कर सकें।

उन्होंने बताया कि शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित सुझाव https://forms.gle/G5avsDt6QRGJtWLF8 लिंक के माध्यम से दिए जा सकते हैं,वहीं पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित सुझाव https://forms.gle/7nhzH7TBGdbydTAn6 के लिए लिंक उपलब्ध है।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि गूगल फॉर्म लिंक को जिला की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाए।

उन्होंने कहा कि वित्त आयोग का उद्देश्य विभिन्न हितधारकों से व्यापक और सार्थक सुझाव प्राप्त करना है, ताकि आयोग की सिफारिशें व्यवहारिक, प्रभावी एवं स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप हो सकें।

डीसी ने आमजन से आह्वान किया कि वे अपने सुझाव देकर स्थानीय शासन व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने में योगदान दें।

जनगणना कार्य में सटीकता व पारदर्शिता बेहद जरूरी : डीसी

डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने लघु सचिवालय में जनगणना 2027 को लेकर चल रही तैयारियों की समीक्षा की

डिजिटल मोड में होने वाली जनगणना के लिए डीसी ने अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश

झज्जर, 02 अप्रैल। डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने कहा कि जनगणना देश की सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक प्रक्रिया है, जिसके आधार पर विकास योजनाओं का निर्माण और संसाधनों का उचित वितरण सुनिश्चित किया जाता है। इस बार जनगणना डिजिटल माध्यम से की जाएगी, इसलिए सभी अधिकारियों को तकनीकी पहलुओं की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है।

डीसी गुरुवार को जिला में होने वाली जनगणना 2027 को लेकर वीसी उपरांत अधिकारियों की बैठक में तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि जनगणना-2027 को डिजिटल मोड में सफलतापूर्वक संपन्न कराने के उद्देश्य से सभी तैयारियां समय से पहले पूरी कर ली जाएं।

उन्होंने कहा कि तहसीलदार व नगर निकायों के अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में जनगणना कार्य से जुड़े कार्यों को पूरा करना सुनिश्चित करें। और यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी डिजिटल एप्लिकेशन तथा निर्धारित प्रक्रिया से भली-भांति परिचित हो। उन्होंने निर्देश दिए कि जनगणना से संबंधित सभी तैयारियां निर्धारित समय सीमा में पूरी की जाएं, ताकि आगामी प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित की जा सके।

डीसी ने कहा कि जनगणना कार्य में सटीकता और पारदर्शिता बनाए रखना अत्यंत जरूरी है। इसके लिए अधिकारियों को क्षेत्र स्तर पर निरंतर निगरानी रखनी होगी और किसी भी प्रकार की त्रुटि की संभावना को समाप्त करना होगा।

उन्होंने कहा कि गत माह जिला स्तर पर फील्ड ट्रेनर्स का प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा हो चुका है जिसमें मास्टर ट्रेनर द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है जबकि 6 से 8 अप्रैल तक उपमंडल स्तर पर जनगणना कार्य में लगे स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

उन्होंने अधिकारियों को जनगणना-2027 की प्रक्रिया, डिजिटल डाटा संकलन प्रणाली, प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर जरूरी निर्देश भी दिए।

16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलेगी सेल्फ इन्यूमरेशन प्रक्रिया

उन्होंने बताया कि जनगणना 2027 के चलते आमजन 16से 30 अप्रैल तक घर बैठे ही सेल्फ इन्यूमरेशन कर सकते हैं। इसके लिए नागरिकों को se. census. gov. in पोर्टल पर जाना होगा। जिसके लिए मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है।

नागरिक सेल्फ इन्यूमरेशन के लिए

16 भाषाओं में से अपनी पसंद की भाषा चुन सकते हैं। फॉर्म में कुल 33 सवालों के जवाब देने होंगे। नागरिकों को घर और उसकी सुविधाओं से जुड़ी जानकारी भरनी होगी ,जिसमें मैप पर अपने घर की सटीक लोकेशन मार्क करना अनिवार्य है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि एक बार फॉर्म सबमिट होने के बाद बदलाव नहीं किया जा सकता। फॉर्म सबमिट करने के बाद OTP के जरिए वेरिफिकेशन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि SE ID आपके डेटा की पहचान के रूप में काम करेगा। गणनाकर्मी घर आने पर यही SE ID दिखानी होगी।

इस अवसर पर सीटीएम ऋतु बंसीवाल, सभी सेन्सस कलर्क व जिला प्रशासन के संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

रायसेन में 11 से 13 अप्रैल तक राष्ट्रीय उन्नत कृषि महोत्सव, आधुनिक खेती को मिलेगा बढ़ावा

संगिनी घोष

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर रायसेन में 11 से 13 अप्रैल तक राष्ट्रीय स्तर का उन्नत कृषि महोत्सव आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य किसानों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ना और खेती में बदलाव लाना है।

इस मेले का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री मोहन यादव करेंगे, जबकि समापन सत्र में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी शामिल होंगे।

कृषि परिवर्तन पर फोकस

यह महोत्सव रायसेन, विदिशा और सीहोर सहित पूरे क्षेत्र में खेती-किसानी में बदलाव की लहर लाने का माध्यम बनेगा और एक व्यापक कृषि रोडमैप तैयार करेगा।

किसानों के लिए वन-स्टॉप समाधान

एक ही स्थान पर किसानों को नई तकनीक, प्रशिक्षण और बाजार से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे उनकी उत्पादकता और आय में वृद्धि होगी।

बीज से बाजार तक दृष्टिकोण

यह मेला प्रयोगशाला से खेत तक और बीज से बाजार तक की पूरी प्रक्रिया को जोड़ते हुए किसानों को उन्नत खेती का पूरा नक्शा प्रदान करेगा।

तकनीक और नवाचार का प्रदर्शन

मेले में ड्रोन, सूक्ष्म सिंचाई, आधुनिक मशीनें और एफपीओ जैसी सुविधाओं और जानकारियों को एक मंच पर प्रस्तुत किया जाएगा।

ऐसे देखें तो यह पहल किसानों को आधुनिक संसाधनों से जोड़कर कृषि क्षेत्र को नई दिशा देने की एक मजबूत कोशिश है।

मुख्य बिंदु

* शिवराज सिंह चौहान की पहल पर कृषि महोत्सव
* 11 से 13 अप्रैल तक रायसेन में आयोजन
* उद्घाटन राजनाथ सिंह और मोहन यादव करेंगे
* समापन में नितिन गडकरी शामिल होंगे
* तकनीक, प्रशिक्षण और बाजार की जानकारी एक मंच पर
* ड्रोन, सूक्ष्म सिंचाई, मशीनरी और एफपीओ पर जोर

SEO Meta Description:

रायसेन में 11-13 अप्रैल को राष्ट्रीय उन्नत कृषि महोत्सव आयोजित होगा, जिसमें किसानों को आधुनिक तकनीक, प्रशिक्षण और बाजार से जुड़ी जानकारी मिलेगी।

किडनी के अंतरराष्ट्रीय अवैध कारोबार के खिलाफ गहन जांच में जुटी कानपुर पुलिस, पांच डॉक्टरों समेत 6 गिरफ्तार

सुनील बाजपेई

कानपुर। यहां किडनी के अवैध अंतर्राष्ट्रीय कारोबार का पर्दाफाश करने के बाद पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में लगातार जुटी हुई है। अब तक इस मामले में अस्पताल संचालक पांच डॉक्टरों समेत आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया गया है ,जबकि फरार लोगों में मेरठ के डॉ. अफजल डॉ. रोहित और वैभव अनुराग की तलाश में भी छापेमारी जारी है।

जहां तक किडनी की आवाज ट्रांसप्लांट के खुलासे का सवाल है। इसका पर्दाफाश 50,000 रुपये के विवाद ने करा दिया।

पुलिस के अनुसार किडनी रैकेट में गिरफ्तार छह लोगों में पांच डॉक्टर शामिल हैं। इस रैकेट में कम से कम 40 लोगों, जिनमें विदेशी भी शामिल हैं, की अवैध सर्जरी की गई थी। आरोप है कि किडनी 10 लाख रुपये में खरीदी जाती थी और 60 लाख रुपये में बेची जाती थी, लेकिन उनका पर्दाफाश एक छात्र के साथ हुए विवाद से हुआ, जिसने उन्हें अपनी किडनी बेची थी। यह विवाद 50,000 रुपये की मामूली रकम को लेकर था।

जानकारी के मुताबिक बिहार के समस्तीपुर के एमबीए छात्र आयुष ने पुलिस को किडनी रैकेट के बारे में सूचना दी थी। मेरठ में पढ़ने वाले आयुष ने आर्थिक तंगी के चलते आरोपियों से अपनी एक किडनी 10 लाख रुपये में बेचने का सौदा किया था। हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। उनका दावा है कि उन्हें तय रकम से 50,000 रुपये कम यानी सिर्फ 9.5 लाख रुपये ही मिले।

फिलहाल सूचना मिलने के बाद जैसे ही जांच शुरू हुई और सुराग भी मिलने लगे। पुलिस को सबसे पहले शिवम अग्रवाल के बारे में पता चला, जो एक एम्बुलेंस चालक था और आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को लुभाने के लिए टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करता था।

आयुष भी उसके जाल में फंस गया था। उसे 10 लाख रुपये देने का वादा किया गया था, लेकिन आरोपी ने कथित तौर पर मुजफ्फरनगर की एक मरीज पारुल तोमर के परिवार से 60 लाख रुपये की उगाही की थी, जिसे गुर्दे की सख्त जरूरत थी।

मिली जानकारी के आधार पर, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने कल्याणपुर क्षेत्र के तीन अस्पतालों, जिनमें आहूजा अस्पताल, प्रिया अस्पताल और मेड लाइफ अस्पताल शामिल हैं, पर संयुक्त छापेमारी की। छापेमारी के दौरान, मेड लाइफ अस्पताल बिना पंजीकरण के संचालित पाया गया। पुलिस ने आयुष और पारुल को अस्पताल परिसर से बरामद किया। आयुष की हालत गंभीर होने के कारण उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

पुलिस के अनुसार अब तक आहूजा अस्पताल के मालिक डॉ. सुरजीत सिंह आहूजा, उनकी पत्नी डॉ. प्रीति आहूजा, डॉ. राजेश कुमार, डॉ. राम प्रकाश, डॉ. नरेंद्र सिंह और शिवम अग्रवाल को भी गिरफ्तार कर लिया है। इन अभियुक्तों के खिलाफ मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस ने बताया कि अभी भी फरार लोगों में डॉ. अफजल, डॉ. रोहित और वैभव अनुराग की तलाश जारी है।

वहीं दूसरी ओर पत्रकारों से बातचीत में पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने संकेत दिया कि यह गिरोह केवल कानपुर में ही सक्रिय नहीं था, बल्कि इसके संबंध दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और यहां तक कि नेपाल से भी हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि माना जाता है कि इस गिरोह ने विदेशियों सहित 40 से 50 अवैध प्रत्यारोपण किए थे। फिलहाल पूरे प्रकरण की गहन जांच लगातार जारी है ,जिसमें और भी कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं।

पक्षियों की आवाज़ें न केवल हमें आनंद देती हैं, बल्कि व हमें प्रकृति की सुंदरता का भी अनुभव कराती हैं

हमें पक्षियों की ज़रूरतों का ध्यान रखना चाहिए। वे हमारे पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और हमारे जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

पक्षियों की ज़रूरतों का ध्यान रखने से हम न केवल उनकी मदद कर सकते हैं, बल्कि हम अपने पर्यावरण को भी स्वस्थ और सुंदर बना सकते हैं।

हम पक्षियों के लिए पानी के स्रोत बना सकते हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं, और उनके लिए आश्रय बना सकते हैं। इन छोटे-छोटे कदमों से हम पक्षियों की मदद कर सकते हैं और हमारे पर्यावरण को भी स्वस्थ बना सकते हैं।

गर्मियों की आहट शुरू हो गई है।, हमें अपने आसपास के पक्षियों की जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए। ये बड़े मासूम होते हैं।गर्मियों में पक्षियों को पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। हम अपने घरों के बाहर पानी के बर्तन रख सकते हैं जिसमें पक्षी पानी पी सकें।

पक्षियों को दाना डाल देना भी एक अच्छा विचार है। हम अपने घरों के बाहर दाना डालने के लिए एक जगह बना सकते हैं जहां पक्षी आकर दाना खा सकें।

गर्मियों में पक्षियों को छांव की भी ज़रूरत होती है। हम अपने घरों के बाहर लगे पेड़ों पर व्यवस्थाएं बना सकते हैं, या छांव के लिए एक छतरी बना सकते हैं जहां पक्षी आकर आराम कर सकें।

इन सुझावों को अपनाकर, हम पक्षियों की मदद कर सकते हैं और उनकी ज़रूरतों का ध्यान रख सकते हैं।बिल्कुल ! पक्षियों का कलरव वास्तव में मनमोहक होता है। उनकी मधुर आवाज़ें और चहचहाहट हमें प्रकृति के क़रीब ले जाती हैं और हमारे मन को शांति और सुकून से भर देती हैं।

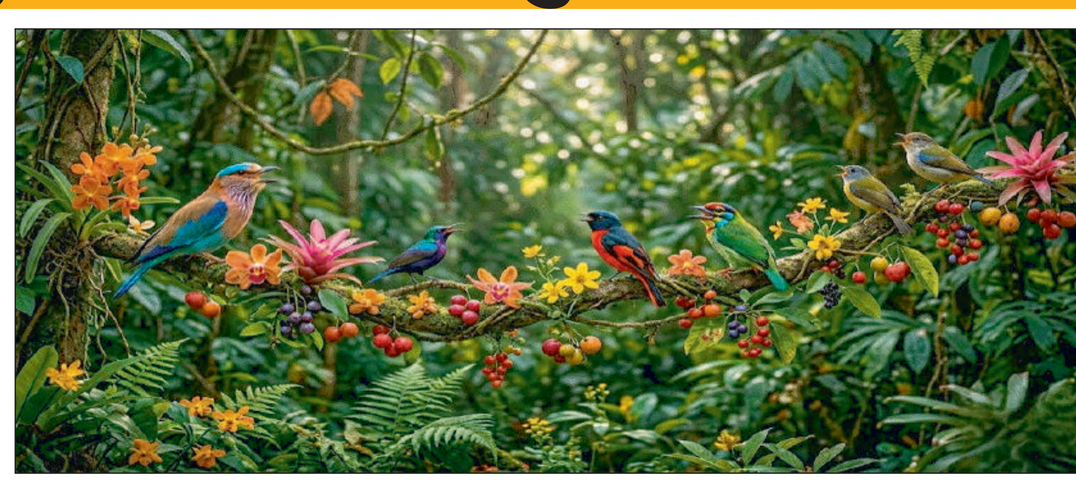

पक्षियों की आवाज़ें न केवल हमें आनंद देती हैं, बल्कि वे हमें प्रकृति की सुंदरता और विविधता का भी अनुभव कराती हैं। जब हम पक्षियों की आवाज़ें सुनते हैं, तो हमें लगता है कि हम प्रकृति के बीच में हैं, और यह अनुभव हमें बहुत आनंद और शांति देता है।

डॉ. मुश्ताक अहमद शाह
सहज़ हरदा मध्य प्रदेश,

अलोकतांत्रिक और अन्याय पूर्वक है साहित्य अकादमी की कार्यशैली

डा. विनोद बब्बर

साहित्य अकादमी के गठन का उद्देश्य सभी भारतीय भाषाओं के साहित्य के संवर्धन हेतु किया था लेकिन इसकी जटिल रचना, विचित्र चुनाव प्रक्रिया ने साहित्य अकादमी को ऐसे लोगों का जमावड़ा बना दिया जो साहित्य की बजाय भारतीय संस्कृति विरोधी विचार को देखकर निर्णय करने लगे। यह यक्ष प्रश्न है कि दुनिया के इतिहास में क्या कोई ऐसी दूसरी संस्था है जहाँ अपना कार्यकाल पूरा करने वाले सदस्य ही नए सदस्यों का चयन करते हैं। क्या यह कोई राजशाही है जहां राजा अपना उत्तराधिकारी स्वयं तय करें ?

जिस संस्था की रचना इतनी जटिल है, उसकी कार्यशैली भी अव्यवहारिक है । सुनने में यह है अच्छा लग सकता है कि साहित्य अकादमी सभी भारतीय भाषाओं के साथ समान व्यवहार करती है। प्रत्येक भाषा को एक सम्मान की बात सुनकर ताली बजाने वाले लोग समझते नहीं है या समझना नहीं चाहते कि डोगरी और बोडो बोलने वाली कुल जनसंख्या से भी अधिक हिंदी के लेखक हैं। अतः एक समान व्यवहार का जुमला उचित नहीं है। कुछ भाषाओं में पुरस्कार प्राप्त गली-गली हो और देश के लगभग सभी राज्यों और विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त साहित्यकारों को ढूंढना पड़ता है।

वह साहित्य अकादमी ही है जिसने देश की संविधान की आठवीं अनुसूची भाषाओं के अतिरिक्त कुछ बोलियां को अलग से सम्मान देने की परंपरा शुरू की। उसी का परिणाम है कि हिंदी को समृद्ध करने वाली बोलियों के मन में अलगाव के विचार पनपा। आज अनेक बोलियों के लोग संविधान में अलग दर्जा मांग रहे हैं तो उस पाप के लिए साहित्य अकादमी की कार्यशैली जिम्मेदार है। छोटी-छोटी बोलियों और लगभग 100 करोड़ के लोगों की भाषा हिंदी को समकक्ष रखने का विचार भाषा और संस्कृति के विखंडन को बढ़ावा देने का षड्यंत्र है । इसलिए सर्वप्रथम साहित्य अकादमी को लोकतांत्रिक बनाया जाए। साहित्य अकादमी को लोकतांत्रिक और निष्पक्ष बनाना इसलिए भी आवश्यक है ताकि उसकी प्रक्रिया पारदर्शी हो।

यह अब कोई छुपा रहस्य नहीं है कि साहित्य अकादमी पर लंबे समय से काबिज कांग्रेस-वामपंथ गिरोह ने मनमाने ढंग से चयन समिति का गठन और निर्णय की परंपरा आरंभ की। इस बार भी हिंदी पुरस्कार तय करने का जिम्मा जिन लोगों को दिया गया उनका एक विचारधारा विशेष में विश्वास तो अवश्य है लेकिन हिंदी साहित्य में क्या योगदान है, यह बताने योग्य उनके पास कुछ नहीं है। ऐसे में साहित्य अकादमी के पुरस्कार 'अंधा बाँटे रेवड़ी' की तर्ज पर बांटे गए।

हमने साहित्य अकादमी द्वारा हिंदी की उपेक्षा का प्रश्न बार-बार उठाया है। साहित्य अकादमी और संस्कृति मंत्रालय को भी पत्र लिखे लेकिन पत्र का उत्तर तो दूर, पावती की सूचना भी प्राप्त नहीं हुई । इसलिए आज फिर दोहराना चाहता हूं, पुरस्कारों की प्रक्रिया को बदला जाए। हिंदी के लिए हर विधा में अलग पुरस्कार दिया जाए ताकि एक विचारधारा विशेष द्वारा किए गए अन्याय को दूर किया जा सके ।

जो लोग साहित्य अकादमी को स्वायत्त संस्था बताते हैं, वे यह भूलते हैं कि केंद्रीय साहित्य अकादमी की सभी गतिविधियां केंद्र सरकार द्वारा दिए जा रहे सैकड़ों करोड रुपए के अनुदान से चलती हैं। क्या अनुदान देने वाले को संस्था की गड़बड़ियों के प्रति आंखें मूंदे रखना चाहिए ?

भारत लोकतांत्रिक देश है जहां बहुमत प्राप्त दल अथवा गठबंधन शासन चलाते हैं तो बहुमत की भाषा की अपेक्षा को कैसे उचित ठहराया जा सकता है ? सरकार को तत्काल प्रभाव से समिति का गठन करना चाहिए जो साहित्य अकादमी की कार्यशैली से चुनाव प्रक्रिया तक की समीक्षा करते हुए सुधार के सुझाव दे।

डा. विनोद बब्बर
अध्यक्ष, इंद्रप्रस्थ साहित्य भारती
(अखिल भारतीय साहित्य परिषद

ईरान-इजरायल युद्ध की आंच चारधाम यात्रा तक

जयसिंह रावत

पश्चिम एशिया में ईरान और इजरायल के बीच बढ़ता युद्ध अब केवल क्षेत्रीय तनाव का विषय नहीं रह गया है, बल्कि इसके प्रभाव अब वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा बाजार और आम जनजीवन तक स्पष्ट रूप से महसूस किए जा रहे हैं। इस भीषण संघर्ष की आंच सुदूर हिमालय स्थित करोड़ों सनातन धर्मावलंबियों की आस्था के केंद्र, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री तक पहुंच रही है। आगामी 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया से शुरू हाने जा रही इस वर्ष की चारधाम यात्रा न केवल महंगी होने जा रही है अपितु इस संघर्ष का असर विदेशी श्रद्धालुओं के आगमन पर पड़ने की भी पूरी आशंका है।

इस साल की चारधाम यात्रा के लिये गंगोत्री एवं यमुनोत्री के कपाट अक्षय तृतीया पर 19 अप्रैल को ,केदारनाथ के 22 अप्रैल को तथा बदरीनाथ के कपाट 23 अप्रैल को खुल रहे हैं। इसलिये ऋषिकेश में यात्रा का उद्घाटन 14 या. 15 अप्रैल को होने की संभावना है।चारधाम यात्रा उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हर वर्ष लगभग 50 लाख श्रद्धालु देश-विदेश से इन पवित्र धामों के दर्शन के लिए आते हैं लेकिन इस बार परिस्थितियां अलग हैं। युद्ध के चलते वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल और गैस की कीमतों में उछाल आया है, जिसका सीधा असर भारत जैसे ऊर्जा आयातक देश पर पड़ रहा है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि का असर पहाड़ी क्षेत्रों तक भी कई गुना बढ़कर पहुंचता है। इसलिये चारधाम यात्रा की पूरी लागत संरचना प्रभावित होना स्वाभाविक है।

इस संकट का सबसे पहले असर परिवहन पर पड़ता है। इस हिमालयी तीर्थ यात्रा का अधिकांश हिस्सा सड़क मार्ग से तय किया जाता है, जहां टैक्सी, बस और निजी वाहनों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ईंधन महंगा होने से इन सेवाओं के किराए बढ़ना स्वाभाविक है। इसके साथ ही, पहाड़ों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति मैदानी क्षेत्रों से होती है। जब परिवहन महंगा होता है, तो खाद्य सामग्री, होटल सेवाएं और अन्य जरूरी सुविधाएं भी महंगी हो जाती हैं जो सीधे श्रद्धालुओं की जेब पर बोझ डालता है। ऋषिकेश से लेकर चारों धामों तक लगभग 1300 किमी लम्बे यात्रा मार्ग हजारों की संख्या में होटल, रेस्तरां और ढाबे स्थाई और सीजनल आधार पर चलते हैं। भोजन और चाय-नास्ते के केन्द्र प्रायः एलपीजी से चलते हैं। इन दिनों सारे देश में रसोई गैस की किल्लत चल रही है जिसका असर चारधाम यात्रा पर भी पड़ना स्वाभाविक है। इस किल्लत के चलते भोजन आदि की कीमतों में कम से कम 20 प्रतिशत तक उछाल आने की संभावना है, जिसका सीधा असर तीर्थ यात्रियों की जेबों पर पड़ेगा।

चारधाम यात्रा में परिवहन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभाने वाली ऋषिकेश स्थित टीजीएमओयू ट्रांसपोर्ट कंपनी के अध्यक्ष जितेन्द्र सिंह नेगी के अनुसार अगर युद्ध के हालात नहीं सुधरे और रसोई गैस की स्थिति नहीं सुधरी तो इस साल की चारधाम यात्रा बहुत बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। इस बार चारधाम यात्रा के लिये 3000 हजार बसें तय की गयी हैं जिनकी बुकिंग शुरू हो गयी है। देश के विभिन्न कोनों से बसों की बुकिंग कर आने वाले तीर्थ यात्री अपना कीचन भी साथ लाते हैं और उनको यात्रा के दौरान रसोई गैस उपलब्ध करानी होती है, जो कि इस स्थिति में बहुत कठिन है। नेगी के अनुसार यात्रियों के कुछ दलों ने बसों की बुकिंग केंसिल करा दी है।

इसका दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि चारधाम यात्रा केवल श्रद्धा का विषय नहीं, बल्कि एक व्यापक आर्थिक तंत्र है। उत्तराखंड के लाखों परिवारों की आजीविका प्रत्यक्ष और पारोक्ष रूप से इस यात्रा से जुड़ी हुई है। होटल व्यवसायी, ढाबा संचालक, टूर ऑपरेटर, गाइड, घोड़ा-खच्चर मालिक, फूल-प्रसाद विक्रेता, सभी की आय का बड़ा हिस्सा इसी यात्रा से आता है। जब यात्रा महंगी होती है, तो स्वाभाविक रूप से यात्रियों की संख्या प्रभावित होती है, विशेषकर मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोग अपनी यात्रा स्थगित या सीमित कर सकते हैं। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था पर सीधा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

युद्ध का एक और प्रभाव अंतरराष्ट्रीय यात्राओं पर भी देखा जा रहा है। खाड़ी देशों और यूरोप से आने वाली उड़ानों के मार्ग में बदलाव और हवाई किराए में वृद्धि के कारण प्रवासी भारतीयों और विदेशी पर्यटकों की संख्या में कमी आने की आशंका है। यह वर्ग आमतौर पर अधिक खर्च करता है और स्थानीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। उनकी अनुपस्थिति से पर्यटन क्षेत्र की आय में गिरावट आ सकती है। केदारनाथ जैसे दुर्गम क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवाएं एक महत्वपूर्ण साधन बन चुकी हैं लेकिन एविएशन टर्बाइन फ्यूल की कीमतों में वृद्धि के कारण इन सेवाओं के किराए में भी बढ़ोतरी होना तय है। इसके अलावा, यदि युद्ध लंबा चलता है, तो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हो सकती है, जिससे विमानन क्षेत्र में स्पेयर पार्ट्स और तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता पर असर पड़ सकता है।

उत्तराखंड के सुदूर हिमालयी क्षेत्रों में स्थित ये धाम भले ही भौगोलिक रूप से दूर हों, लेकिन वैश्विक अर्थव्यवस्था के उतार-चढ़ाव से अछूते नहीं हैं। यह परस्पर जुड़ाव आधुनिक विश्व की एक सच्चाई है, जहां एक क्षेत्र में युद्ध का प्रभाव हजारों किलोमीटर दूर बैठे लोगों के जीवन पर पड़ता है। इस स्थिति में स्थानीय स्तर पर भी नवाचार की आवश्यकता है। पर्यटन से जुड़े लोगों को अपनी सेवाओं की गुणवत्ता और विविधता बढ़ानी होगी, ताकि कम संख्या में आने वाले यात्रियों से भी बेहतर आय प्राप्त की जा सके। स्थानीय उत्पादों, हस्तशिल्प और पारंपरिक भोजन को बढ़ावा देकर अतिरिक्त आय के स्रोत विकसित किए जा सकते हैं।

चारधाम यात्रा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है। इसे वैश्विक अस्थिरता के दौर में भी सुचारु और सुरक्षित बनाए रखना एक सामूहिक जिम्मेदारी है। सरकार, प्रशासन और समाज को मिलकर इस दिशा में प्रयास करने होंगे, ताकि आस्था की यह यात्रा आर्थिक संकट का शिकार न बने। ईरान- युद्ध की आंच ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आज का विश्व कितना परस्पर जुड़ा हुआ है। ऐसे में आवश्यक है कि हम न केवल तात्कालिक चुनौतियों का सामना करें बल्कि दीर्घकालिक रणनीतियों के माध्यम से अपने महत्वपूर्ण धार्मिक और आर्थिक तंत्रों को मजबूत बनाएं। चारधाम यात्रा की निरंतरता और उसकी गरिमा को बनाए रखना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा .

सुनहरे गेहूं की कहानी: प्राचीन रीति-रिवाजों से लेकर मशीन युग तक का एक बड़ा परिवर्तन

● डॉ. विजय गर्ग

प्राचीन काल में गेहूं की खेती पूरी तरह से पारंपरिक तरीके से होती थी। बीज बोने से लेकर कटाई तक हर काम हाथ से किया जाता था। हल से जमीन उगाई जाती थी, बीज छिड़के जाते थे और पानी देने के लिए नहरों या कुओं का सहारा लिया जाता था। कटाई के समय परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिलकर अनाज काटते थे। यह समय न केवल परिश्रम का होता था, बल्कि खुशी और मेलजोल का भी होता था।

गेहूं पंजाब की धरती का वैभव है। जब खेतों में सुनहरी बालें हवा के झोंके से लहराती हैं, तो यह दृश्य किसान के साल भर के परिश्रम का प्रतीक बन जाता है। गेहूं सिर्फ एक फसल नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, रीति-रिवाज और जीवन शैली से जुड़ी कहानी है।

प्राचीन काल में गेहूं की खेती पूरी तरह से पारंपरिक तरीके से होती थी। बीज बोने से लेकर कटाई तक हर काम हाथ से किया जाता था। हल से जमीन उगाई जाती थी, बीज छिड़के जाते थे और पानी देने के लिए नहरों या कुओं का सहारा लिया जाता था। कटाई के समय परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिलकर अनाज काटते थे। यह समय न केवल परिश्रम का होता था, बल्कि खुशी और मेलजोल का भी होता था।

पंजाब की धरती और गेहूं का रिश्ता सदियों पुराना है। जिसे हम आज 'सोना' कहते हैं, उसने पिछले कुछ दशकों में एक लंबी और दिलचस्प यात्रा की है। हल के दस्तों से लेकर कबाइनों की आवाज तक, गेहूं की कहानी मानव परिश्रम और वैज्ञानिक प्रगति का एक अद्भुत उदाहरण है।

पुराना दौरः परिश्रम और साझेदारी का प्रतीक प्राचीन काल में गेहूं की खेती केवल एक व्यवसाय नहीं, बल्कि एक उत्सव के समान थी। उस समय के प्रमुख पहलू थेः बैलों की जोड़ीः खेतों की सफाई लकड़ी के हलकों और बैलों की मदद से की जाती थी। किसान सुबह-सुबह अंधेरे में ही खेतों की ओर निकल जाते थे। हाथ से बोनाः बीजों को हाथ से काटकर या 'पोरे' के माध्यम से बोया जाता था। दाती की गड़गड़ाहटः कटाई के दिनों में पूरा गांव एक-दूसरे की मदद करता था। दानी के साथ लंबी लाइनों में खड़े होकर गेहूं काटना होता था और 'भरी' बांधली जाती थीं। फल और पिंडः गेहूं को निकालने के लिए बैलों के पीछे से दाल बांधकर काट दिया जाता था, फिर हवा के रुख के अनुसार अनाज को अलग कर दिया जाता था।

हरित क्रांतिः एक बड़ा मोड़ 1960 के दशक में आई हरित क्रांति ने सब कुछ बदल दिया। मैक्सिकन प्रजातियों के आगमन से झाड़ियों में भारी वृद्धि हुई। "भूखमरी के डर से भारत में अन्न की आपूर्ति बढ़ गई, और इसका सबसे बड़ा श्रेय पंजाब के किसानों को जाता है।"

मशीन युगः गति और सुविधा आज के समय में कृषि का स्वरूप पूरी तरह बदल गया हैः ट्रैक्टर और सुपर सीडरः अब सप्ताहों का काम घंटों में हो जाता है। सुपर सीडर जैसी मशीनों से बिना जलाए परली को उगाना संभव हो गया है। कंबाइन हार्वेस्टरः जहां पहले कटाई और गहाने में महीनों का समय लगता था, अब कंबाइन कुछ ही मिनटों में खेत साफ कर देता है। ड्रोन और तकनीकः अब ड्रोन के माध्यम से खाद और कीटनाशकों का छिड़काव करने की तकनीक भी फैल रही है।

गेहूं की कटाई भी एक अलग प्रक्रिया थी। बिल्लियों को इकट्ठा करके बेलों से रोया जाता था, ताकि दाने अलग हो जाएं। इसके बाद हवा में फेंका गया भूसा और दाने अलग कर दिए जाते थे। इन सभी कार्यों में बहुत समय लगता था, लेकिन इसमें साझाकरण और सहयोग की भावना भी होती थी।

मशीनरी युग के आगमन से गेहूं की खेती में बड़े बदलाव आए हैं। अब खेतों को ट्रैक्टरों से जोड़ा जाता है, बीज ड्रिल से बोए जाते हैं और कटाई और कटाई एक ही समय में होती है। इससे समय और श्रम दोनों की बचत होती है तथा उत्पादन भी बढ़ जाता है।

लेकिन इस प्रगति के साथ कुछ चुनौतियां भी सामने आई हैं। मशीनों के उपयोग से खर्च बढ़ गया है और छोटे किसानों के लिए ये मशीनें खरीदना आसान नहीं है। इसके अलावा, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अधिक उपयोग से मिट्टी की उपज और पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ा है।

आज हमें पुरानी प्रथाओं और नई प्रौद्योगिकी के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता है। जहां मशीनों से सुविधा और उत्पादन बढ़ता है, वहां हमें प्रोगेमिक तरीकों और मिट्टी के स्वास्थ्य को भी महत्व देना चाहिए।

अंततः, सुनहरे गेहूं की यह कहानी हमें बताती है कि समय के साथ बदलाव आवश्यक है, लेकिन अपनी जड़ों और परंपराओं को नहीं भूलना चाहिए। यही संतुलन हमें भविष्य में एक स्थिर और समृद्ध कृषि प्रणाली की ओर ले जा सकता है।

डॉ. विजय गर्ग सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य शैक्षिक स्तंभकार मलोट पंजाब

सुधार या बोझ? आम आदमी की जेब पर लगातार पड़ता वार

देश में कई फैसले ऐसे होते हैं, जो कागज पर छोटे दिखते हैं, लेकिन उनका असर सीधे रसोई, सड़क और जेब तक पहुंचता है। 1 अप्रैल 2026 भी ऐसी ही तारीख बन गई। नए वित्तीय वर्ष के पहले ही दिन आम आदमी पर तीन तरफ से बोझ डाला गया—नया इनकम टैक्स कानून, ई20 पेट्रोल का अनिवार्य उपयोग और फास्टैग का महंगा वार्षिक पास। सरकार इन बदलावों को सुधार कह रही है, लेकिन असली असर वही मध्यम वर्ग झेल रहा है, जो पहले से महंगाई, किस्तों और रोजमर्रा के खर्चों में फंसा हुआ था। यह सिर्फ नियमों में बदलाव नहीं, बल्कि आम आदमी की आय स्थिर रहकर खर्चों के बढ़ते दबाव का नया दौर है।

सबसे बड़ा बदलाव नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 के रूप में आया है। छह दशक पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 को हटाकर नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। दावा है कि इससे टैक्स सिस्टम आसान, पारदर्शी और आधुनिक बनेगा। कागजों पर राहत भी दिखती है। बच्चों का शिक्षा भत्ता 100 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रतिमाह, हॉस्टल भत्ता 300 से 9000 रुपये और भोजन भत्ता व गिफ्ट लिमिट भी कई गुना बढ़ाई गई है। पहली नजर में यह राहत का पैकेज लगता है, लेकिन असलियत अलग है। इन बढ़ी हुई सीमाओं के साथ शर्तें और कागजी बोझ भी बढ़ गया है। नतीजा यह कि कर्मचारी को राहत कम और उलझन ज्यादा मिल रही है।

नए टैक्स नियमों ने नौकरीपेशा वर्ग के लिए कुछ राहत के साथ कागजी अनुपालन भी बढ़ाया है। अब एचआरए क्लेम के लिए मकान मालिक का पैन और किराए की रसीद जैसे दस्तावेज अनिवार्य हो गए हैं। दस लाख रुपये से अधिक के हर लेन-देन पर भी पैन अनिवार्य कर दिया गया है। फॉर्म 16 की जगह नई अनुपालन प्रक्रिया और फॉर्म लागू हो गए हैं, जिन्हें समझने में कर्मचारियों को परेशानी हो रही है। सबसे बड़ी परेशानी पुरानी और नई टैक्स व्यवस्था के बीच चुनाव को लेकर है। आम कर्मचारी तय नहीं कर पा रहा कि किसमें बचत है और किसमें ज्यादा टैक्स। जिसे आसान और पारदर्शी व्यवस्था कहा गया था, वह अब सलाहकारों, चार्ट और कैलकुलेटर के बिना समझ में नहीं आती। सुधार के नाम पर उलझन और बढ़ गई है।

टैक्स के बाद दूसरा बड़ा झटका ई20 पेट्रोल ने दिया है। 1 अप्रैल से देश के हर पेट्रोल पंप पर 20 प्रतिशत एथनॉल मिला पेट्रोल ही बिक रहा है। सरकार इसे तेल आयात घटाने, विदेशी मुद्रा बचाने, प्रदूषण कम करने और किसानों की आय बढ़ाने वाला कदम बता रही है। मंशा पर सवाल नहीं, लेकिन मुश्किल वहां शुरू होती है जहां यह फैसला आम आदमी की गाड़ी से टकराता है। देश में लाखों कारें और बाइक पांच-दस साल पुरानी हैं। उनके मालिक अब डर रहे हैं कि कहीं ई20 पेट्रोल से इंजन पर असर न पड़े, माइलेज न घट जाए और मरम्मत का नया खर्च न जुड़ जाए। अगर गाड़ी ई20 के अनुकूल नहीं हुई, तो उसकी कीमत आखिर किसकी जेब से निकलेगी?

विशेषज्ञ चेतावनी दे चुके हैं कि ई20 पेट्रोल से पुरानी गाड़ियों का माइलेज घट सकता है, इंजन पर दबाव बढ़ सकता है और तकनीकी बदलाव की जरूरत पड़ सकती है। पेट्रोल की कीमत भले न बढ़े, वास्तविक खर्च बढ़ जाएगा। माइलेज घटने से महीने के अंत तक कई सौ रुपये अतिरिक्त खर्च होंगे। रोज़ दफ्तर जाने वाले कर्मचारी, टैक्सी चालक, डिलीवरी कर्मी और छोटे व्यापारी सबसे पहले प्रभावित होंगे। सीमित आय वाले परिवारों के लिए यह नया खर्च बड़ी समस्या बन सकता है। सरकार ने फैसला लागू कर दिया, लेकिन पुराने वाहनों वाले लाखों परिवारों की तैयारी नहीं हुई।

सड़क पर निकलने वालों के लिए सबसे तात्कालिक झटका फास्टैग के नए नियमों ने दिया है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने फास्टैग के वार्षिक पास की कीमत 3000 रुपये से बढ़ाकर 3075 रुपये कर दी है। सुनने में यह केवल 75 रुपये की बढ़ोतरी लगती है, लेकिन असली बोझ इससे कहीं बड़ा है। अब 'वन व्हीकल, वन फास्टैग' नियम पहले से सख्ती से लागू है और नकद भुगतान लगभग खत्म हो चुका है। खाते में बैलेंस कम हुआ, तो टोल प्लाजा पर गाड़ी रुक सकती है। अब हर सफर मोबाइल, बैंक खाते और नेटवर्क पर ज्यादा निर्भर हो गया है। यानी अब सड़क पर निकलने से पहले गाड़ी नहीं, फास्टैग का सक्रिय होना ज्यादा जरूरी हो गया है।

इन तीनों बदलावों की सबसे बड़ी मार मध्यम वर्ग पर पड़ेगी। सीमित आय वाले एक सामान्य परिवार की जेब पर अब हर महीने 800 से 1200 रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। नए टैक्स नियम बचत घटाएंगे, ई20 पेट्रोल रोज की यात्रा महंगी करेगा और फास्टैग हर सफर को ज्यादा खर्चीला बना देगा। यही वह वर्ग है, जो पहले ही बच्चों की फीस, राशन, बिजली बिल और ईएमआई के बीच जूझ रहा है। न उसे सरकारी राहत मिलती है, न बढ़ती महंगाई से बचने का रास्ता। इसलिए सरकार जिन कदमों को सुधार कह रही है, वे आम आदमी को जेब पर लगातार पड़ते वार जैसे लग रहे हैं।

किसी भी सुधार का मूल्य उसके उद्देश्य से नहीं, बल्कि उसके प्रभाव से तय होता है। टैक्स व्यवस्था को आधुनिक बनाना, तेल पर निर्भरता घटाना और टोल को डिजिटल करना जरूरी हो सकता है, लेकिन बिना तैयारी और विकल्प के लागू किए गए बदलाव सुधार नहीं, बोझ बन जाते हैं। 1 अप्रैल 2026 ने यही सच्चाई सामने रखी। इस दिन देश ने कोई नई शुरुआत नहीं, बल्कि यह महसूस किया कि आने वाले समय में आम आदमी को अपनी कमाई से ज्यादा अपने बढ़ते खर्चों की चिंता करनी होगी।

डिजिटल बाल यौन शोषण — ऑनलाइन युग में एक बढ़ता संकट

डॉ विजय गर्ग

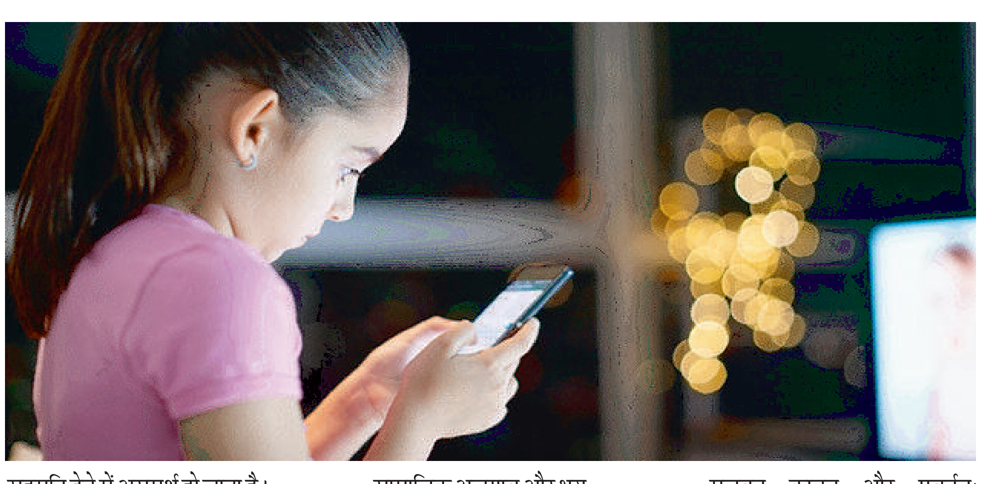

डिजिटल प्रौद्योगिकी के तीव्र विस्तार ने लोगों के जुड़ने, सीखने और संवाद करने के तरीके को बदल दिया है। हालांकि, इन लाभों के साथ-साथ एक अंधकारमय वास्तविकता भी उभर आई है। डिजिटल बाल यौन शोषण एक गंभीर और बढ़ती वैश्विक चिंता है जो बच्चों की सुरक्षा, गरिमा और भविष्य को खतरा बनाती है। डिजिटल बाल यौन शोषण क्या है?

डिजिटल बाल यौन शोषण से तात्पर्य बच्चों का यौन शोषण करने के लिए इंटरनेट, मोबाइल उपकरणों या डिजिटल प्लेटफार्मों का उपयोग है। इसमें संवारना, अपमानजनक छवियों को साझा करना या बनाना, दबाव डालना और लाइव-स्ट्रीम दुर्व्यवहार जैसी गतिविधियां शामिल हैं।

दुर्व्यवहार के पारंपरिक रूपों के विपरीत, यह शोषण अक्सर शारीरिक संपर्क के बिना होता है, जिससे इसका पता लगाना और रोकथाम करना कठिन हो जाता है। अपराधी गुमनाम रूप से और सीमा पार करके काम कर सकते हैं, जिससे समस्या से निपटने की जटिलता बढ़ जाती है।

ऑनलाइन शोषण के रूप

डिजिटल शोषण कई रूप ले सकता है, जिनमें शामिल हैं

ऑनलाइन संवारनाः किसी बच्चे के साथ यौन शोषण या हेरफेर करने के लिए उसका विश्वास बढ़ाना

बाल यौन शोषण सामग्री (सीएसएएम): स्पष्ट छवियों या वीडियो का निर्माण और वितरण

यौन उत्पीड़नः अंतरंग चित्रों या धमकियों का उपयोग करके बच्चों को ब्लैकमेल करना

लाइव स्ट्रीमिंग दुरुपयोगः इंटरनेट पर वास्तविक समय शोषण प्रसारण

स्व-जनित सामग्री का दुरुपयोगः बिना सहमति के साथियों द्वारा निजी छवियों को साझा करना

इन गतिविधियों में अक्सर जबरदस्ती, धोखा या सत्ता का दुरुपयोग शामिल होता है, जहां बच्चा सूचित सहमति देने में असमर्थ हो जाता है।

समस्या क्यों बढ़ रही है?

डिजिटल बाल शोषण के उदय में कई कारकों ने योगदान दिया है

1। व्यापक इंटरनेट पहुंचः बच्चे पहले से कहीं अधिक कम उम्र में ऑनलाइन होते हैं

2। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मः दुनिया भर में अजनबियों के साथ आसान संवाद

3। अपराधियों की गुमनामीः छिपी हुई पहचान ट्रैकिंग को कठिन बना देती है

4। तकनीकी प्रगतिः एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे उपकरण

हाल की रिपोर्टें चिंताजनक प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालती हैं। हर साल लाखों मामले दर्ज किए जाते हैं, और विशेषज्ञों का अनुमान है कि दुनिया भर में करोड़ों बच्चे प्रत्येक वर्ष किसी न किसी रूप में ऑनलाइन यौन शोषण का अनुभव करते हैं।

इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि एआई-जनित अपमानजनक सामग्री बढ़ रही है, जो तेजी से बढ़ती जा रही है और इसका पता लगाना कठिन हो रहा है।

बच्चों पर प्रभाव

डिजिटल यौन शोषण के परिणाम गंभीर और दीर्घकालिक हैं:

भावनात्मक आघात, चिंता और अवसाद

विश्वास और आत्मसम्मान का नुकसान

सामाजिक अलगाव और भय

दीर्घकालिक मनोवैज्ञानिक नुकसान

भले ही दुर्व्यवहार ऑनलाइन हो, लेकिन इसका प्रभाव बहुत वास्तविक है, क्योंकि डिजिटल सामग्री को बार-बार साझा किया जा सकता है, जिससे पीड़ित का कष्ट बढ़ जाता है।

मुद्दे को सुलझाने में चुनौतियां

डिजिटल बाल शोषण से लड़ने में अनूठी चुनौतियां हैं

कम रिपोर्टिंगः कई पीड़ित अपनी बात कहने में शर्म या डर महसूस करते हैं

सीमा पार अपराधः अपराधी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करते हैं

तेजी से विकसित हो रही प्रौद्योगिकीः कानून प्रवर्तन को तालमेल बनाए रखने में संघर्ष करना पड़ रहा है

जागरूकता की कमीः माता-पिता और बच्चे जोखिम को नहीं पहचान पाते

अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि कई पीड़ित कभी अपने दुर्व्यवहार करने वालों से व्यक्तिगत रूप से नहीं मिलते, फिर भी नुकसान बहुत गहरा होता है और कभी-कभी ऑफ़लाइन दुर्व्यवहार में बदल जाता है।

रोकथाम और संरक्षण

इस संकट से निपटने के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है

डिजिटल शिक्षाः बच्चों को सुरक्षित ऑनलाइन व्यवहार सिखाना

माता-पिता की जागरूकताः निगरानी और खुला संचार

मजबूत कानून और प्रवर्तनः अपराधियों को वैश्विक स्तर पर निशाना बनाना

टेक कंपनी की जिम्मेदारीः हानिकारक सामग्री का पता लगाना और हटाना

रिपोर्टिंग तंत्रः पीड़ितों और गवाहों को दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करना

एक सुरक्षित डिजिटल वातावरण बनाना सिर्फ एक तकनीकी चुनौती नहीं है, यह एक सामाजिक जिम्मेदारी है।

निष्कर्ष

डिजिटल बाल यौन शोषण आधुनिक डिजिटल युग के सबसे जरूरी मुद्दों में से एक है। जैसे-जैसे प्रौद्योगिकी विकसित होती जा रही है, बच्चों की सुरक्षा के लिए हमारे प्रयास भी विकसित होने चाहिए। जागरूकता, शिक्षा और समन्वित वैश्विक कार्रवाई यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि इंटरनेट अवसर का स्थान बना रहे। समाज के सबसे युवा और सबसे कमजोर सदस्यों के लिए नुकसान नहीं होगा।

समस्या के पैमाने को स्वीकार करके और एक साथ काम करके ही हम एक सुरक्षित डिजिटल भविष्य का निर्माण करने की आशा कर सकते हैं।

डॉ विजय गर्ग सेवानिवृत्त प्रधान शैक्षिक स्तंभकार प्रख्यात शिक्षाशास्त्री स्ट्रीट कौर चंद एमएचआर मलोट पंजाब

सीबीआई की सीमाएं और सवाल

(जब जांच एजेंसी बन जाए राजनीति का केंद्र बिंदु)

-डॉ. प्रियंका सौरभ

भारत के संघीय ढांचे में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) का राज्य क्षेत्राधिकार एक ऐसा संवेदनशील और बहुपरतीय मुद्दा बन चुका है, जो केवल कानूनी बहस तक सीमित नहीं है, बल्कि राजनीतिक, संवैधानिक और नैतिक प्रश्नों को भी अपने भीतर समेटे हुए है। पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह विभिन्न राज्यों—विशेषकर विपक्षी शासित राज्यों—ने सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति (जनरल कंसेंट) वापस ली है, उसने इस बहस को और अधिक तीखा बना दिया है। यह सवाल बार-बार उठाया जा रहा है कि क्या सीबीआई वास्तव में एक निष्पक्ष जांच एजेंसी है या फिर वह केंद्र सरकार के प्रभाव में काम करने वाली संस्था बनती जा रही है। दूसरी ओर, केंद्र सरकार का यह दावा है कि राज्य सरकारें अपनी राजनीतिक सुविधा के अनुसार जांच एजेंसियों के रास्ते में बाधा उत्पन्न कर रही हैं। सच इन दोनों अतियों के बीच कहीं स्थित है।

सीबीआई की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र को समझने के लिए दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम, 1946 (डीएसपीई अधिनियम) को समझना आवश्यक है। यही वह कानून है जो सीबीआई को वैधानिक आधार प्रदान करता है। इस अधिनियम की धारा 6 स्पष्ट रूप से कहती है कि किसी राज्य में सीबीआई को अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए संबंधित राज्य सरकार की सहमति आवश्यक होगी। यही प्रावधान भारतीय संघवाद की उस भावना को दर्शाता है, जिसमें राज्यों की स्वायत्तता का सम्मान किया गया है। लेकिन यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि यह सहमति पूर्ण और अपरिहार्य नहीं है। कानून में ऐसे कई अपवाद मौजूद हैं, जहां सीबीआई बिना राज्य की सहमति के भी जांच कर सकती है।

उदाहरण के लिए, यदि किसी मामले में उच्चतम न्यायालय या संबंधित उच्च न्यायालय सीबीआई जांच का आदेश देता है, तो राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार के कर्मचारियों से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों में, या केंद्रीय कानूनों के उल्लंघन से जुड़े मामलों में भी सीबीआई को स्वतंत्र रूप से कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त है। वर्ष 2025 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया एक महत्वपूर्ण निर्णय इस संदर्भ में उल्लेखनीय है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज करने के लिए राज्य की सहमति आवश्यक नहीं है। यह निर्णय इस बात को रेखांकित करता है कि राज्य की शक्ति सीमित है और उसे राष्ट्रीय हित तथा न्यायिक प्रक्रिया के सामने झुकना पड़ सकता है।

भारतीय संविधान का संघीय ढांचा भी इस पूरे विवाद को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत को एक "सहकारी संघवाद" का उदाहरण माना जाता है, लेकिन यह पूर्णतः विकेंद्रीकृत नहीं है। सातवीं अनुसूची में कानून-व्यवस्था को राज्य सूची में रखा गया है, जिसका अर्थ है कि सामान्य परिस्थितियों में यह राज्यों का विषय है। लेकिन अनुच्छेद 246 और 254 के तहत केंद्र को विशेष परिस्थितियों में प्रधानता प्राप्त है। यह व्यवस्था इसलिए बनाई गई थी ताकि राष्ट्रीय एकता और कानून का शासन किसी भी स्थिति में कमजोर न पड़े।

यहीं से यह टकराव उत्पन्न होता है। एक ओर राज्य अपनी संवैधानिक स्वायत्तता का हवाला देते हैं, वहीं दूसरी ओर केंद्र यह तर्क देता है कि राष्ट्रीय हित और व्यापक न्याय व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए उसके पास हस्तक्षेप करने का अधिकार होना चाहिए। 2018 के बाद से पश्चिम बंगाल, पंजाब, तेलंगाना, केरल, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और अन्य कई राज्यों ने सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली है। सामान्य सहमति का अर्थ होता है कि सीबीआई राज्य में बिना हर बार अनुमति लिए जांच शुरू कर सकती है। इसकी वापसी के बाद सीबीआई को हर मामले में अलग से अनुमति लेनी पड़ती है, जिससे जांच प्रक्रिया धीमी और जटिल हो जाती है।

राज्यों का आरोप है कि केंद्र सरकार सीबीआई का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए करती है। कई मामलों में यह आरोप लगाया गया है कि विपक्षी नेताओं के खिलाफ अचानक जांच शुरू हो जाती है, जबकि सत्ता पक्ष के नेताओं के मामलों में ढिलाई बरती जाती है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 2019 में सामान्य सहमति वापस लेते समय इसी प्रकार की चिंता व्यक्त की थी। इसी तरह अन्य राज्यों ने भी इसे अपनी स्वायत्तता की रक्षा का कदम बताया।

दूसरी ओर, केंद्र सरकार का यह कहना है कि राज्य सरकारें सहमति रोककर भ्रष्टाचार और अपराध की जांच में बाधा डाल रही हैं। यदि हर मामले में राजनीतिक अनुमति की आवश्यकता होगी, तो निष्पक्ष जांच संभव नहीं हो पाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने भी 2021 में इस प्रवृत्ति पर चिंता जताई थी और कहा था कि राज्यों द्वारा सामान्य सहमति वापस लेने से अंतरराज्यीय और जटिल अपराधों की जांच प्रभावित होती है। यह टिप्पणी इस बात का संकेत है कि न्यायपालिका इस मुद्दे को केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि व्यापक न्यायिक हितों के संदर्भ में देख रही है।

इस पूरे विवाद का सबसे गंभीर पहलू यह है कि इससे जांच एजेंसियों की विश्वसनीयता प्रभावित हो रही है। जब किसी जांच एजेंसी पर राजनीतिक पक्षपात के आरोप लगते हैं, तो जनता का विश्वास कमजोर पड़ता है। लोकतंत्र में संस्थाओं की विश्वसनीयता ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। यदि सीबीआई को एक निष्पक्ष और स्वतंत्र संस्था के रूप में नहीं देखा जाएगा, तो उसके द्वारा की गई जांच और कार्रवाई भी संदेह के घेरे में आ जाएगी।

इसके साथ ही, राज्यों द्वारा सहमति वापस लेने की प्रवृत्ति भी एक खतरनाक उदाहरण प्रस्तुत करती है। यदि हर राज्य अपनी राजनीतिक सुविधा के अनुसार केंद्रीय एजेंसियों को प्रवेश से रोकने लगे, तो राष्ट्रीय स्तर पर अपराध नियंत्रण और भ्रष्टाचार विरोधी प्रयास कमजोर पड़ सकते हैं। विशेष रूप से ऐसे अपराध जो कई राज्यों में फैले होते हैं, उनकी जांच के लिए एक मजबूत और स्वतंत्र केंद्रीय एजेंसी की आवश्यकता होती है।

समाधान इस टकराव में नहीं, बल्कि संतुलन और सहयोग में निहित है। सबसे पहले, यह आवश्यक है कि सीबीआई की स्वायत्तता को वास्तविक रूप से सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए निदेशक की नियुक्ति प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाया जा सकता है और एक स्वतंत्र निगरानी तंत्र स्थापित किया जा सकता है, जिसमें न्यायपालिका और विपक्ष की भी भागीदारी हो। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि सीबीआई किसी भी प्रकार के राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर कार्य करे।

दूसरे, डीएसपीई अधिनियम में संशोधन कर एक स्पष्ट और संतुलित व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। इसमें यह प्रावधान किया जा सकता है कि राज्य सरकारें सहमति देने या न देने के लिए एक निश्चित समय सीमा के भीतर निर्णय लें। यदि निर्धारित समय में कोई निर्णय नहीं लिया जाता, तो उसे स्वीकृति माना जाए। इससे जांच प्रक्रिया में अनावश्यक देरी को रोका जा सकता है।

हिरासत में मौतें: बढ़ते आंकड़े, घटती जवाबदेही : बाबूलाल नागा

बाबूलाल नागा

महज 74 दिनों में 170 मौतें — यह आंकड़ा नहीं बल्कि व्यवस्था की गंभीर विफलता का संकेत है। हिरासत, जहां कानून के संरक्षण की उम्मीद होती है, वहीं अगर मौतें होने लगें तो यह केवल प्रशासनिक चूक नहीं बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा सवाल है। इतनी बड़ी संख्या का सामने आना इस बात का संकेत है कि समस्या केवल बनी हुई नहीं है बल्कि तेजी से गंभीर होती जा रही है।

हाल में एक ताजा जानकारी ने देश की कानून-व्यवस्था और मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर प्रश्नचिन्ह खड़े कर दिए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक और द वायर में छपी रिपोर्ट अनुसार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय द्वारा संसद में प्रस्तुत आंकड़े बताते हैं कि इस वर्ष 15 मार्च तक देशभर में हिरासत में मौत के 170 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। यह आंकड़ा पिछले पूरे वर्ष 2024-25 के कुल 140 मामलों से भी अधिक है। राज्यवार आंकड़े इस संकट की गहराई को और स्पष्ट करते हैं। बिहार में इस वर्ष अब तक 19 मामले सामने आए हैं जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 10 थी। राजस्थान में 2024-25 के 9 मामलों के मुकाबले इस वर्ष 18 और उत्तर प्रदेश में 11 के मुकाबले 15 मौतें दर्ज की गई हैं। गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब में भी 14-14 मामले सामने आए हैं। यह स्थिति दर्शाती है कि यह समस्या किसी एक राज्य या क्षेत्र तक सीमित नहीं बल्कि देशव्यापी प्रवृत्ति का रूप ले चुकी है।

यदि पिछले वर्षों के रुझान पर नजर डालें तो 2021-22 में 176, 2022-23 में 163, 2023-24 में 157 और 2024-25 में 140 मामले दर्ज हुए थे। यह क्रम एक धीमी गिरावट का संकेत देता था जिससे उम्मीद बंधती थी कि सुधार की दिशा में कुछ प्रगति हो रही है लेकिन इस वर्ष अचानक आई वृद्धि ने उन सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या पुलिस सुधारों की प्रक्रिया ठहर गई है, या फिर जवाबदेही और निगरानी के तंत्र में गंभीर खामियां बनी हुई हैं।

हिरासत में मौतें केवल आंकड़ा नहीं होतीं, वे कानून के उस मूल सिद्धांत को चुनौती देती हैं जिसमें हर नागरिक को न्यायिक प्रक्रिया के तहत अपने अधिकारों की रक्षा का भरोसा दिया जाता है। जब किसी व्यक्ति को राज्य की निगरानी में रखा जाता है तो उसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी भी राज्य की होती है। ऐसे में हिरासत में होने वाली हर मौत सीधे-सीधे उस जिम्मेदारी के निर्वहन पर सवाल खड़े करती है। यह स्थिति और भी चिंताजनक तब हो जाती है जब इन मामलों में पारदर्शिता और निष्पक्ष जांच की कमी दिखाई देती है।

अक्सर देखा गया है कि हिरासत में मौत के मामलों में जांच की प्रक्रिया लंबी और अस्पष्ट रहती है। कई बार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई या तो देर से होती है या फिर औपचारिकता बनकर रह जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि पीड़ित परिवारों को न्याय मिलने में देरी होती है और व्यवस्था के प्रति उनका विश्वास कमजोर पड़ता है। जब जवाबदेही तय नहीं होती तो ऐसी घटनाओं के दोहराए जाने का खतरा बढ़ जाता है।

यह भी एक महत्वपूर्ण पहलू है कि हिरासत में मौतों के शिकार अक्सर समाज के कमजोर और वंचित तबकों से आते हैं। यह स्थिति सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांतों के विपरीत है। एक

लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह अपेक्षा की जाती है कि कानून सभी के लिए समान रूप से काम करे लेकिन जब कमजोर वर्ग ही अधिक प्रभावित दिखाई देते हैं तो यह असंतुलन व्यवस्था की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाता है।

इस गंभीर समस्या का समाधान केवल आंकड़े प्रस्तुत करने या चिंता व्यक्त करने भर से नहीं होगा। इसके लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाने होंगे। सबसे पहले, हिरासत में मौत के हर मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जानी चाहिए। पुलिस थानों और हिरासत केंद्रों में सीसीटीवी निगरानी को अनिवार्य और प्रभावी बनाया जाए ताकि घटनाओं की वास्तविकता सामने आ सके। साथ ही, मानवाधिकार आयोगों और निगरानी संस्थाओं को अधिक अधिकार और संसाधन दिए जाने चाहिए ताकि वे प्रभावी ढंग से अपनी भूमिका निभा सकें।

पुलिस बल के प्रशिक्षण में भी संवेदनशीलता और मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कानून लागू करने वाले अधिकारियों को यह समझना होगा कि उनकी भूमिका केवल अपराध नियंत्रण तक सीमित नहीं है बल्कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, दोषियों के खिलाफ त्वरित और कठोर कार्रवाई का स्पष्ट संदेश जाना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।

अंततः, हिरासत में बढ़ती मौतें केवल कानून-व्यवस्था की विफलता नहीं बल्कि लोकतंत्र के मूल मूल्यों के लिए भी एक गंभीर चेतावनी हैं। यदि समय रहते इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो यह समस्या और विकराल रूप ले सकती है। कानून का राज तभी सार्थक है, जब वह नागरिकों के जीवन और अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित कर सके—अन्यथा आंकड़ों में दर्ज ये मौतें व्यवस्था की असफलता का स्थायी प्रतीक बनती जाएंगी।

बाबूलाल नागा
(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं)

शिक्षा को कौशल आधारित बनाना राष्ट्र के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक

डॉ. शैलेश शुक्ला

किसी भी राष्ट्र की प्रगति का वास्तविक आधार उसकी मानव संसाधन क्षमता होती है और यह क्षमता शिक्षा के माध्यम से निर्मित होती है। किंतु केवल डिग्री आधारित या सैद्धांतिक शिक्षा आधुनिक वैश्विक अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा करने में पर्याप्त नहीं रही है। आज के समय में उद्योग, सेवा क्षेत्र और डिजिटल अर्थव्यवस्था ऐसे कर्मियों की माँग करते हैं जो न केवल ज्ञान रखते हों, बल्कि उस ज्ञान को व्यावहारिक रूप से लागू करने की दक्षता भी रखते हों। इस संदर्भ में शिक्षा को कौशल आधारित बनाना केवल शैक्षिक सुधार का मुद्दा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय आर्थिक रणनीति का केंद्रीय तत्व बन गया है। यदि शिक्षा प्रणाली रोजगार, उद्यमिता और नवाचार के लिए आवश्यक कौशल विकसित नहीं कर पाती, तो उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं की बड़ी संख्या भी बेरोजगारी या अल्परोजगारी का सामना करती है, जिससे राष्ट्र की उत्पादक क्षमता प्रभावित होती है।

भारत में कौशल और रोजगार के बीच असंतुलन एक लंबे समय से पहचानी गई समस्या है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में यह तथ्य सामने आया कि केवल 8.25 प्रतिशत स्नातक ही ऐसे कार्यों में लगे हैं जो उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुरूप हैं, जबकि आधे से अधिक स्नातक कम कौशल वाले कार्यों में संलग्न पाए गए। यह आँकड़ा इस बात का स्पष्ट संकेत है कि पारंपरिक शिक्षा प्रणाली और श्रम बाजार की वास्तविक आवश्यकताओं के बीच गंभीर अंतर मौजूद है। इसी प्रकार विभिन्न कौशल आकलन रिपोर्टों में यह पाया गया कि भारतीय स्नातकों की कुल रोजगारयोग्यता लगभग 54.81 प्रतिशत के आसपास है, अर्थात लगभग आधे शिक्षित युवा भी उद्योग की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं। इस स्थिति का सीधा प्रभाव आर्थिक विकास, नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा पर पड़ता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने इस समस्या को पहचानते हुए शिक्षा को अधिक लचीला, बहुविषयी और कौशल उन्मुख बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। नीति में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विद्यालय स्तर से ही विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण से जोड़ा जाएगा तथा वर्ष 2025 तक कम से कम 50 प्रतिशत विद्यार्थियों को किसी न किसी रूप में व्यावसायिक शिक्षा से परिचित कराने का लक्ष्य रखा गया है। यह दृष्टिकोण इस समझ पर आधारित है कि कौशल केवल उच्च शिक्षा के बाद सिखाने की वस्तु नहीं है, बल्कि उसे प्रारंभिक शिक्षा से ही जीवन कौशल के रूप में विकसित किया जाना चाहिए।

इसके बावजूद वास्तविक स्थिति यह दर्शाती है कि कौशल आधारित शिक्षा का प्रसार अभी सीमित है। एक राष्ट्रीय आकलन में पाया गया कि भारत के केवल 47 प्रतिशत विद्यालय ही कक्षा 9 से ऊपर के छात्रों के लिए कौशल आधारित पाठ्यक्रम उपलब्ध कराते हैं और इनमें भी केवल लगभग 29 प्रतिशत छात्र ही इन पाठ्यक्रमों का चयन करते हैं। यह अंतर बताता है कि नीति स्तर पर घोषित लक्ष्य और जमीनी स्तर पर उसके क्रियान्वयन के बीच अभी भी बड़ी दूरी है। यदि विद्यालय स्तर पर ही छात्रों को व्यावसायिक विकल्पों से परिचित नहीं कराया जाएगा, तो उच्च शिक्षा के बाद अचानक कौशल प्रशिक्षण देने का प्रयास कम प्रभावी सिद्ध होता है।

वैश्विक स्तर पर भी यह स्वीकार किया गया है कि कौशल असंतुलन आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक बड़ी चुनौती है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार कौशल असंतुलन तब उत्पन्न होता है जब श्रमिकों के पास उपलब्ध कौशल और उद्योग द्वारा माँगे जा रहे कौशल के बीच अंतर होता है, जिससे उत्पादकता और रोजगार दोनों प्रभावित होते हैं। भारत जैसे देश, जहाँ हर वर्ष बड़ी संख्या में युवा श्रम बाजार में प्रवेश करते हैं, वहाँ यह असंतुलन और भी गंभीर रूप ले सकता है यदि शिक्षा प्रणाली समय रहते स्वयं को परिवर्तित न करे।

डिजिटल क्रांति और स्वचालन के बढ़ते प्रभाव ने कौशल आधारित शिक्षा की आवश्यकता को और अधिक अनिवार्य बना दिया है। हालिया कौशल अंतर रिपोर्टों में यह सामने आया है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा, डेटा विश्लेषण और डिजिटल तकनीक से जुड़े कौशल भविष्य के रोजगार बाजार में सबसे अधिक माँग में रहने वाले कौशलों में शामिल हैं। इसका अर्थ यह है कि पारंपरिक पाठ्यक्रमों के साथ-साथ नई तकनीकों से जुड़े व्यावहारिक प्रशिक्षण को शिक्षा का अनिवार्य हिस्सा बनाना होगा, अन्यथा युवा पीढ़ी तेजी से बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा करने में पीछे रह जाएगी।

कौशल आधारित शिक्षा का महत्व केवल रोजगार तक सीमित नहीं है; यह उद्यमिता और नवाचार को भी प्रोत्साहित करती है। जब विद्यार्थियों को समस्या समाधान, डिजाइन, प्रोजेक्ट आधारित सीखने और वास्तविक जीवन के अनुप्रयोगों पर आधारित शिक्षा दी जाती है, तो वे केवल नौकरी खोजने वाले नहीं, बल्कि रोजगार सृजन करने वाले उद्यमी भी बन सकते हैं। विकसित देशों में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने का एक प्रमुख उद्देश्य यही रहा है कि युवा केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित न रहें, बल्कि उद्योग और समाज की वास्तविक समस्याओं के समाधान खोजने में सक्षम बनें।

भारत में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पॉलिटेक्निक और विभिन्न कौशल विकास योजनाएँ लंबे समय से अस्तित्व में हैं, परंतु इन संस्थानों की सामाजिक प्रतिष्ठा और पहुँच अभी भी सीमित है। पारंपरिक मानसिकता के कारण अनेक परिवार व्यावसायिक शिक्षा को सामान्य शिक्षा की तुलना में कम प्रतिष्ठित मानते हैं, जिसके कारण बड़ी संख्या में छात्र सामान्य स्नातक पाठ्यक्रमों की ओर आकर्षित होते हैं, भले ही उनके बाद रोजगार की संभावना कम हो। इस सामाजिक दृष्टिकोण को बदलना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि शैक्षिक ढाँचे में सुधार करना।

सरकार द्वारा प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और अन्य कौशल उन्नयन कार्यक्रमों का उद्देश्य इसी अंतर को कम करना रहा है। इन योजनाओं के माध्यम से लाखों युवाओं को अल्पकालिक प्रशिक्षण, पूर्व अनुभव की मान्यता और उद्योग से जुड़े पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए गए हैं। हाल के वर्षों में इन कार्यक्रमों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन तकनीक, रोबोटिक्स और हरित ऊर्जा जैसे उभरते क्षेत्रों से भी जोड़ा गया है, जिससे प्रशिक्षण अधिक भविष्य उन्मुख बन सके। हालांकि इन योजनाओं की प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि प्रशिक्षण के बाद युवाओं को वास्तविक रोजगार या उद्यमिता के अवसर कितनी मात्रा में प्राप्त होते हैं।

कौशल आधारित शिक्षा का एक महत्वपूर्ण आयाम यह भी है कि यह शिक्षा को अधिक समावेशी बनाती है। सभी विद्यार्थी पारंपरिक शैक्षणिक पद्धति में समान रूप से सफल नहीं होते, परंतु अनेक छात्र व्यावहारिक, तकनीकी और रचनात्मक गतिविधियों में अधिक दक्ष होते हैं। यदि शिक्षा प्रणाली उन्हें केवल लिखित परीक्षा और सैद्धांतिक विषयों के आधार पर परखती है, तो उनकी वास्तविक प्रतिभा का उपयोग नहीं हो पाता। कौशल आधारित पाठ्यक्रम उन्हें अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करते हैं, जिससे ड्रॉपआउट दर कम हो सकती है और शिक्षा अधिक प्रासंगिक बन सकती है।

आर्थिक दृष्टि से देखें तो कौशल आधारित शिक्षा प्रत्यक्ष रूप से उत्पादकता वृद्धि से जुड़ी होती है। जब कार्यबल प्रशिक्षित और दक्ष होता है, तो उद्योगों को कम प्रशिक्षण लागत में अधिक कुशल कर्मचारी मिलते हैं, उत्पादन की गुणवत्ता बेहतर होती है और वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ती है। यही कारण है कि जर्मनी, दक्षिण कोरिया और जापान जैसे देशों ने अपने विकास के प्रारंभिक चरण में ही तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को मजबूत किया और उसे मुख्यधारा की शिक्षा के बराबर महत्व दिया।

भारत के लिए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि देश जनसांख्यिकीय लाभांश के दौर से गुजर रहा है। बड़ी युवा आबादी तभी आर्थिक संपत्ति में परिवर्तित हो सकती है जब वह पर्याप्त रूप से शिक्षित और कुशल हो। यदि यह आबादी बेरोजगार या अल्परोजगार रह जाती है, तो वही जनसांख्यिकीय लाभांश सामाजिक और आर्थिक चुनौती में बदल सकता है। इस जोखिम को टालने के लिए शिक्षा को रोजगार और उद्योग की आवश्यकताओं के साथ बेहतर ढंग से जोड़ना अनिवार्य है।

अंततः यह स्पष्ट है कि कौशल आधारित शिक्षा केवल पाठ्यक्रम में कुछ व्यावसायिक विषय जोड़ देने भर का मामला नहीं है, बल्कि यह शिक्षा के दर्शन, संरचना और मूल्यांकन प्रणाली में व्यापक परिवर्तन की माँग करती है। जब तक विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, उद्योगों और नीति निर्माताओं के बीच सशक्त सहयोग स्थापित नहीं होगा, तब तक शिक्षा और रोजगार के बीच का अंतर पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकेगा। भारत यदि स्वयं को एक ज्ञान आधारित और प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना चाहता है, तो उसे शिक्षा प्रणाली को इस प्रकार परिवर्तित करना होगा कि प्रत्येक विद्यार्थी केवल डिग्रीधारी नहीं, बल्कि कौशलयुक्त, नवाचारी और आत्मनिर्भर नागरिक बन सके। यही वह मार्ग है जो राष्ट्र को स्थायी आर्थिक विकास, सामाजिक स्थिरता और वैश्विक नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ा सकता है।

सलाहकार संपादक, नईदुनिया एवं गौड़सन्स टाइम्स

लफ्फाज हो तो शिवराज सिंह जैसा! : हर रोज 115 किसान आत्महत्या, लेकिन लफ्फाजी आमदनी आठ गुना बढ़ने की

(आलेख : बादल सरोज)

जब वे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उनकी हर दिन आठ-दस की दर से की जाने वाली घोषणाओं को सुनकर प्रदेश के लोग प्यार से 1984 की एक फिल्म के जुमले "मूंछें हो तो नत्थूलाल जैसी हों" को आगे बढाते हुए कहा करते थे कि ₹लफ्फाजी हो तो शिवराज सिंह जैसी₹ ! शिवराज पदोन्नत हुए – भले उन्होंने इसे पदोन्नति की बजाय पदावनति माना – मगर रोते-बिसूरते ही सही, अंततः मध्यप्रदेश से उठकर दिल्ली पहुँच गए और मंदसौर के किसानों के खून में लिथड़े इनके हाथों को देखकर मोदी सरकार में भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्री बना दिए गए। नई जगह, नयी जिम्मेदारी पुराने स्वभाव को बदल दे, ऐसी कमजोर परवरिश उस विचारधारा की नहीं है, जिसमें शिवराज पले, बढ़े और बड़े हुए हैं। सो लफ्फाजियों के जो कारनामे उन्होंने मध्यप्रदेश में दिखाए थे, उन्हें यहाँ भी जारी रखा। अब मैदान ज्यादा बड़ा मिला, तो फेंकने का आयाम भी बढ़ा। जुबान चलाने में वैसे भी कोई पैसा खर्च नहीं होता, सो जो चाहें वह बोला जा सकता है। कथित मुख्य धारा का मीडिया पालतू है, सो न कोई पूछ होगी न ताछ, न समीक्षा होगी, न पड़ताल : इसलिए जितना विराट, जितना निराट झूठ बोला जा सकता है, उतना बोला जाएगा। यहाँ और भी आसान था, क्योंकि यहाँ उनसे भी ज्यादा बड़े वाले सिद्ध बैठे हुए थे।

इस बार इस आदत का मुजाहिरा करने के लिए उन्होंने संसद का मंच चुना। केंद्रीय कृषि मंत्री के रूप में बोलते हुए संसद में उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के कई किसानों की आय दोगुनी, तिगुनी, चौगुनी और कुछ मामलों में तो आठ गुना तक बढ़ गई है। वे लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष द्वारा किसानों की आय दोगुनी नहीं किये जाने से जुड़े सवालों का जवाब दे रहे थे। एक झूठ को सही साबित करने के लिए अनेक झूठ और बोलने पड़ते हैं, सो वो भी बोले गये। बजट के आंकड़े गिनाये, 2014 के बाद से खाद्यान्न उत्पादन में 44% की वृद्धि का हवाला दिया। लागत पर कम से कम 50% लाभ जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य – एमएसपी -- के निर्धारण का दम भरा। बिना कोई तथ्य दिए रिकॉर्ड मात्रा में खाद्यान्न की खरीद की बात कही। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत सालाना 6,000 रूपये की सीधी आर्थिक सहायता की गिनती गिनाई। खाद पर दी जाने वाली कथित भारी सब्सिडी का जोड़ लगाया। यहाँ तक कि 'डिजिटल किसान आईडी' बनाने के काम को भी किसानों की आय के साथ नत्थी कर दिया। दावा यहाँ तक ठोक दिया कि मध्य प्रदेश में किसान साल में तीन-तीन फसलें ले रहे हैं, जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी हुई है। खैरियत रही कि सांस में ली जाने वाली हवा वगैरा को उन्होंने आमदनी में नहीं जोड़ा।

जिस दिन शिवराज संसद में यह लफ्फाजी कर रहे थे ठीक उसके एक दिन पहले पंजाब के दो किसानों -- जसकरण सिंह और जसविंदर सिंह -- ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली थी। इनकी पीड़ा फसल से आमदनी घटते जाने के चलते भारी कर्ज में डूब जाने की थी। अखबारों में छपी जानकारी के अनुसार, पंजाब के कोटकपुरा के ये दोनों सगे भाई लंबे समय से बढ़ते कृषि कर्ज़ के कारण गंभीर मानसिक तनाव में थे। उनका कर्ज़ 25 लाख रुपये से बढ़कर लगभग 50 लाख रुपये हो गया था। लगातार प्रयासों के बावजूद, जिसमें आलू जैसी फसलों की खेती भी शामिल थी, कम बाज़ार कीमतों के कारण वे अपनी लागत तक नहीं निकाल पाए, जिससे उनकी परेशानी और बढ़ गई। अंततः अत्यंत बेबसी में उन्होंने यह कठोर कदम उठाया।

इधर वे दोनों अपनी जान दे रहे थे, उधर इसी दिन, अपने कार्यकाल में कारपोरेट घरानों के 55-55 लाख करोड़ रूपये माफ़ करने वाली केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बड़ी बेरुखी से कह रही थीं कि किसानों के लिए पूर्ण ऋण माफी का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। ये दोनों बयान मिलाकर पढ़ने से देश के किसानों की स्थिति के प्रति भाजपा-नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की गंभीरता उजागर हो जाती है।

जिस मोदी राज में किसानों की आमदनी दोगुनी, चार गुनी, आठ गुनी होने की हांकी जा रही थी, उसके 12 वर्षों के आंकड़े भयावह सच उजागर करते हैं। इनके मुताबिक़ पिछले बारह वर्षों में किसान आत्महत्याएँ बजाय घटने के और ज्यादा तेज़ी से बढ़ी हैं। इन बारह वर्षों में किसानों, कृषि मज़दूरों और और किसानों के ही गाँव से बेदखल होकर गए प्रवासी मज़दूरों द्वारा की गई आत्महत्याओं की संख्या 5 लाख से अधिक हो चुकी है। मतलब हर साल 41666, हर महीने 3472 और हर दिन 115 किसानों ने आत्महत्या की है। यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2016 में किसानों की आय दोगुनी करने के दावे का असली नतीजा।

शिवराज सिंह संसद में बोलते हुए बड़े गर्व के साथ किये अपने बेबुनियाद दावे का आधार जिस एमएसपी नीति को बता रहे थे, दरअसल वही तो किसानों की आय घटने के सबसे बड़े कारणों में से एक है। पिछले बारह वर्षों में एक बार भी इस सरकार ने स्वामीनाथन फार्मूले सी-2+50% (उत्पादन लागत का डेढ़ गुना) के अनुसार किसानों की उपज की एमएसपी निर्धारित नहीं की है। खेती में उत्पादन लागत के सर्वेक्षणों से पता चलता है कि धान किसानों को मिलने वाली औसत कीमत, सरकार ने जिस ए-2+एफएल फार्मूले से तय की, वह एमएसपी से 36 प्रतिशत कम थी। खुद शिवराज के कृषि मंत्रालय द्वारा जारी एमएसपी के दीर्घकालिक आंकड़े बताते हैं कि लगभग सभी फसलों की वास्तविक एमएसपी की वृद्धि दर में गिरावट आई है। अध्ययन की गई 16 एमएसपी फसलों में से 9 फसलों में 2014-15 से 2025-26 के बीच वास्तविक एमएसपी वृद्धि में तेज़ मंदी दर्ज की गई। घोषित एमएसपी भी अधिकांश किसानों के लिए केवल कागज़ी साबित होता है, क्योंकि देशभर में खरीद की कोई गारंटीशुदा व्यवस्था नहीं है और घोषित एमएसपी के आधार पर कुल उत्पादन का 15% से भी कम खरीदा जाता है।

जब बाज़ार कीमतें निम्न स्तर पर हों और उत्पादन लागत बढ़ रही हो, तो स्थिर एमएसपी का अर्थ यही है कि किसानों का नुकसान दोगुना हुआ है, उनकी आय नहीं। इसके साथ ही, ऋण माफी — जो आख़िरी बार 2008 में घोषित की गई थी — पर विचार तक न करने का रवैया ग्रामीण भारत के हितों के प्रति भाजपा-नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की पूर्ण असंवेदनशीलता को दर्शाता है।

तथ्यों से भरी सचाई कुछ भी हो, जमीनी यथार्थ कुछ भी हो, मगर जब मकसद सिर्फ कॉर्पोरेट खेती को बढ़ावा देना हो, तो लफ्फाजी और झूठे दावों के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। "किसानों की आय दोगुनी हो गई है" जैसे नारे पंजाब के दो किसानों और उन लाखों लोगों को वापस नहीं ला सकते, जिनकी आजीविका सरकार की किसान-विरोधी नीतियों के कारण नष्ट हो गई।

शिवराज सिंह के बयान से खेती-किसानी की हालत सुधरने वाली नहीं है, बल्कि उनकी सरकार जो नए बीज क़ानून, बिजली क़ानून ला रही है और ग्रामीण रोजगार गारंटी क़ानून को खत्म करके जिस तरह के हालात पैदा कर रही है, उनसे हालात बद से बदतर ही होने वाले हैं। किसान इस खतरे को समझते हैं और इससे मुकाबला कैसे करना है, यह भी सीख चुके है।

यह वर्ष इसी तरह के मुकाबलों में तपकर फौलाद बने संगठन – अखिल भारतीय किसान सभा – की स्थापना का 90 वां वर्ष है। किसान सभा जानती है कि वर्षगाँठ उत्सव मनाने के अवसर नहीं होते : वे संकल्प को दोहराने और लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ने का अवसर होते है। किसान सभा के स्थापना दिवस 11 अप्रैल से शुरू करके पूरी साल भर देश भर में यही होगा और जब किसान संघर्षों का उजाला बढेगा तो तय है कि अंधेरा छंटेगा।

(लेखक 'लोकजतन' के संपादक और अखिल भारतीय किसान सभा के संयुक्त सचिव हैं।)

2027 के चुनावों में मान सरकार के पक्ष में पिछली 92 सीटों के मुकाबले 100 सीटों पर जीत दिलाने के लिए मतदाता अभी से तैयार – धालीवाल

* संघर्ष करके 15 करोड़ रुपये की लागत से सरकारी डिग्री व व्यावसायिक कॉलेज सहित करोड़ों के विकास कार्य पूरे किए गए – धालीवाल
* खराब मौसम के बावजूद 'शानदार चार साल भगवंत मान के साथ' संवाद कार्यक्रमों में महिलाओं सहित ग्रामीणों की भारी भागीदारी

अमृतसर/अजनाला, 3 अप्रैल (साहिल बेरी)

आम आदमी पार्टी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता, क्षेत्र के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री पंजाब सरदार कुलदीप सिंह धालीवाल ने आज खराब मौसम के बावजूद गांव डब्बर बस्ती, तलवंडी राय दादू, छोटा फत्तेवाल, चक्क डोगरा, वंजांवाला, नंगल, सराय, रियाड़ और उगर औलख में आयोजित 'शानदार चार साल भगवंत मान के साथ' संवाद कार्यक्रमों में महिलाओं सहित आम ग्रामीणों द्वारा दिखाई गई भारी भागीदारी पर खुशी जताते हुए कहा कि इन कार्यक्रमों के अलावा पिछले 8 दिनों में दर्जनों गांवों में हुए आयोजनों में भी लोगों ने स्वतः उत्साह के साथ भाग लेकर जो प्यार और सम्मान दिया है, उससे वे और अधिक दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ क्षेत्र के सीमावर्ती इलाके बिकराऊर में 15 करोड़ रुपये की लागत से नया सरकारी डिग्री व व्यावसायिक प्रशिक्षण कॉलेज स्थापित करने, रावी नदी के धुस्सी बांध घोहनेवाला से गुलगढ़ तक 60 करोड़ रुपये की लागत से नई सड़क बनाने के अलावा क्षेत्र में करोड़ों रुपये के अन्य बहुआयामी विकास कार्यों को पूरा करने, रोजगार, कानून-व्यवस्था की मजबूती, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जनकल्याणकारी योजनाओं को लागू कर पिछड़ेपन के दाग को मिटाने के लिए संकल्पित हैं।

उन्होंने कहा कि आजादी के बाद 70 वर्षों तक पंजाब की सत्ता में रही पारंपरिक पार्टियों ने सीमावर्ती क्षेत्र अजनाला को विकास और रोजगार के मामले में पूरी तरह नजरअंदाज कर इसके माथे पर पिछड़ेपन का दाग लगाया।

सरदार धालीवाल ने लोगों से मुख्यमंत्री पंजाब सरदार भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार को मजबूत करने का आह्वान करते हुए कहा कि वर्ष 2022 के पंजाब विधानसभा चुनावों में लोगों ने पारंपरिक पार्टियों की पूर्व सरकारों द्वारा कथित लूट,

डकैती, महिलाओं के खिलाफ अपराध, नशाखोरी, भ्रष्टाचार, गैंगस्टरवाद जैसी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए मान सरकार को चुना था।

उन्होंने कहा कि सरकार ने 4 वर्षों में अपनी चुनावी गारंटियों को 100 प्रतिशत लागू कर जनता के विश्वास पर खरा उतरते हुए लोगों का भरोसा जीता है और इसी विश्वास को बनाए रखने के लिए पंजाब के मतदाता 2027 के चुनावों में पिछली 92 सीटों के मुकाबले 100 विधानसभा सीटों पर मान सरकार को जीत दिलाने के लिए अभी से तैयार हैं। इसका प्रमाण यह है कि अजनाला सहित राज्य के सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों में 'शानदार चार साल भगवंत मान के साथ' कार्यक्रमों को लोगों का स्वतः उत्साह मिल रहा है।

इस मौके पर खुशपाल सिंह धालीवाल, पीए मुख्तार सिंह बलड़वाल, गुरजंट सिंह सोही, शहरी प्रधान व चेयरमैन अमित औल, एडवोकेट संदीप कौशल गट्टू, ब्लॉक प्रधान सरबजीत सिंह, हरमनजीत सिंह नंगल आदि के अलावा बड़ी संख्या में पंच, सरपंच और स्वयंसेवक मौजूद थे।

डॉ. एस. एन. मोदानी को ग्लोबल टेक्सटाइल लीडरशिप लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड

!!ATEXCON 2026 में सम्मानित, वैश्विक टेक्सटाइल उद्योग में योगदान को मिली बड़ी पहचान!!

अनूप कुमार शर्मा परिवहन विशेष

भीलवाड़ा डॉ. एस. एन. मोदानी, चेयरमैन, RTMA (राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन) एवं वाइस चेयरमैन, संगम ग्रुप, भीलवाड़ा को ग्लोबल टेक्सटाइल लीडरशिप लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड 2026 से सम्मानित किया गया। यह प्रतिष्ठित सम्मान कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री (CITI) द्वारा 13वें एशियन टेक्सटाइल कॉन्फ्रेंस (ATEXCON 2026) के दौरान प्रदान किया गया।यह सम्मान समारोह 2 अप्रैल 2026 को होटल नोवोटेल कन्वेंशन सेंटर, हैदराबाद (तेलंगाना) में आयोजित हुआ, जिसमें तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी की गरिमामयी उपस्थिति रही।

यह सम्मान डॉ. मोदानी को श्री तुम्मला नागेश्वर राव (हैंडलूम्स एवं टेक्सटाइल मंत्री, तेलंगाना) एवं श्री डी. श्रीधर बाबू (आईटी, इंडस्ट्री एवं कॉमर्स मंत्री, तेलंगाना) द्वारा प्रदान किया गया।संगम ग्रुप पीआरओ डॉ राजकुमार जैन ने बताया कि डॉ. एस एन मोदानी को यह सम्मान टेक्सटाइल उद्योग के विकास, नवाचार एवं परिवर्तन में उनके उत्कृष्ट नेतृत्व, अग्रणी योगदान एवं आजीवन समर्पण के लिए प्रदान किया गया है। उनके मार्गदर्शन में भारतीय टेक्सटाइल उद्योग को वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिली है।

इस उपलब्धि पर देश-विदेश के टेक्सटाइल जगत से जुड़े उद्योगपतियों, विशेषज्ञों एवं विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने डॉ. मोदानी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।सम्मेलन के दौरान डॉ. मोदानी ने पैनल चर्चा में भी भाग लिया और अपने विचार साझा किए।

स्कूलों के वाहन संचालन में नहीं चल पाएगी मनमानी

परिवहन विशेष न्यूज

गोरखपुर। जनपद में इस समय स्कूली वाहन फिटनेस अभियान चल रहा है जो 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक चलेगा। इस अभियान के तहत पोर्टल के माध्यम से स्कूली बसों की सारी जानकारी इकट्ठा करके आईएसबीएम पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इस पोर्टल के माध्यम से बसों की सारी जानकारियां एक ही जगह से प्राप्त की जा सकेंगी। इसे परिवहन विभाग ने विकसित किया है। इससे स्कूल वाहनों के संचालन में कोई मनमानी नहीं की जा सकेगी। यही नहीं नियमों का उल्लंघन करने पर वाहनों का पंजीकरण भी निरस्त कर दिया जाएगा। यही नहीं स्कूल की मान्यता तक भी रद्द की जा सकती है।

प्रदेश सरकार ने बच्चों की सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए 01 से 15 अप्रैल तक विशेष स्कूली वाहन फिटनेस अभियान शुरू किया है। इसके दौरान वाहनों का पंजीकरण, फिटनेस, परमिट, बीमा और भौतिक स्थिति की जांच की जा रही है। इन स्कूली वाहनों में किसी भी प्रकार की खामियां मिलने पर सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। जानकारों की माने तो खराब, गलत फिटनेस वाले वाहन दुर्घटनाओं के कारण बनते हैं जिसे खत्म करने के लिए यह किया जा रहा है।

परिवहन विभाग ने शासन के निर्देश पर यूपी इंटीग्रेटेड स्कूल व्हीकल मैनेजमेंट पोर्टल विकसित किया है जो पहली अप्रैल से लाइव हो गया है। पोर्टल के नो योर बस फीचर के जरिए स्कूली वाहनों की पूरी जानकारी विवरण सभी ऑनलाइन उपलब्ध होगें।

सरायकेला जिले का स्थापना दिवस तिथी बदलने से भड़के पूर्व विधायक अनंत

पुछा किस सरकार का नोटिफिकेशन जारी हुआ है एक ऐतिहासिक जिले की स्थापना तारीख बदलने में ?

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड - झारखंड

रांची, सरायकेला खरसावां जिला का स्थापना दिवस कल यानी 4 अप्रैल को मनाया जायेगा यद्यपि गत वर्ष तक इसकी स्थापना दिवस 30 अप्रैल को मनाया जाता रहा।

अपने विधायकी कार्यकाल में जिला बना सरायकेला का तिथी बदले जाने पर सरायकेला के पूर्व विधायक अनंत राम टूडू ने आश्चर्य व्यक्त किया है। उन्होंने जानना चाहा है कि सरकार के किस नोटिफिकेशन के तहत एक ऐसा जिला का स्थापना दिवस तिथी को ही दिया बदल दिया जिसका ऐतिहासिक दस्तावेज केंद्र से लेकर और दो अन्य राज्यों के पास भी सुरक्षित है। जहां आज जमीन, राजस्व, न्याय समेत हर जगह जिला में भ्रष्टाचार राज कर रहा है ऐसा मानना है झारखंड गठन के साथ मंत्री नहीं बनाये जाने पर लोक लेखा समिति अध्यक्ष का पद में बैठाए गये इस विधायक का। उन्होंने इस पर उच्चस्तरीय जांच व कारवाई की मांग करने पर बल दिया है।

सरायकेला के इमानदार पूर्व विधायक अनंत राम टूडू जो सरायकेला खरसावां जिला उद्‌घाटन के समय विधायक थे उन्होंने सरायकेला खरसावां जिले का स्थापना तिथी बदले जाने पर अपनी तीव्र प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है 15 नबम्वर 2000 में झारखंड बनने के बाद सरायकेला खरसावां को उनके विधायकी कार्यकाल में 2021 में 30 अप्रेल को जिला बनाया गया। तब वे बाबूलाल मरांडी तत्कालीन कमिश्नर शिला राजप किस्कू के साथ बंदना डाडेल को इसकी प्रशासनिक बागडोर संभालने हेतु दिया गया था, जो पश्चिम सिंहभूम के उपायुक्त राजीव अरूण एक्का के समय पृथक हुआ था। तब इसका विधिवत उद्घघाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने हवाई मार्ग से आकर आज के अनुमंडल कार्यालय के उस ऐतिहासिक भवन में 30 अप्रेल 2001सोमबार को की थी जिस भवन कभी सरायकेला प्रिंन्सली स्टेट का ऐतिहासिक सेक्रेटेरिएट रहा।। जिस प्रिन्सली स्टेट का विधिवत विलय सरदार पटेल के हाथों हुआ था।

पूर्व विधायक ने आश्चर्य व्यक्त किया है कि किस व्यक्ति के इशारे पर सरायकेला खरसावां जिला का स्थापना तारिख में बदलाव किया गया है। उन्होंने जानना चाहा कौन से नोटिफिकेशन के तहत ऐसा हुआ है ? यद्यपि सरायकेला खरसावां जिला गठन के बाद से अनेक सरकारी दस्तावेज इधर से उधर किये गये जिसे लोग खूब जानते हैं। विशेषकर जमीन का बड़ा खेल हुआ जो आज भी धड़ल्ले से जारी है हर अंचल में। झारखंड गठन के बाद प्रथम लोकलेखा समिति के अध्यक्ष रहे इस विज्ञान के स्नातकोत्तर शिक्षित विधायक टूडू की मानें तो इसमें बड़ी गड़बड़ी एवं सरायकेला का समृद्ध इतिहास को खत्म करने का चाल भी है। उन्होंने कहा है इस पर वे आगे आवाज उठाकर कार्रवाई करवायेगे। लोगों की तथा सरकारी जमीन, राजस्व, विकस, न्याय के जगह अन्याय परोसे जाने का उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए। कारण आम आदमी भी इससे नाखुश हैं।

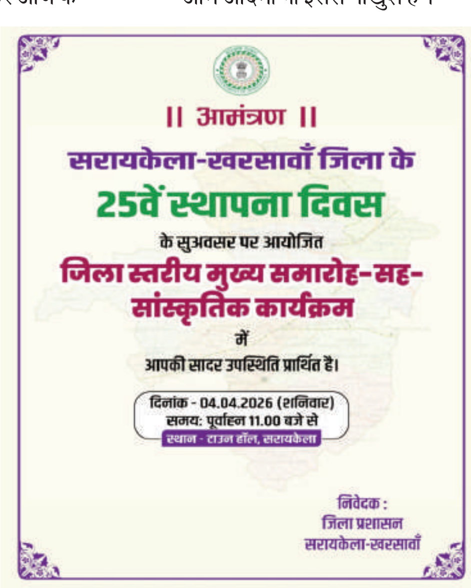

छपास की ऐसी भी क्या बीमारी:....?

छपास कोई चिकित्सीय बीमारी नहीं है, बल्कि यह एक मनोवैज्ञानिक स्थिति या व्यवहारिक लक्षण है, जिसे सस्ती लोकप्रियता पाने की भूख कहा जाता है।

–

सरल शब्दों में, जब कोई व्यक्ति हर बात पर अखबारों में छपने या सुर्खियों में बने रहने के लिए बेचैन रहता है, तो उसे छपास रोग से पीड़ित कहा जाता है!!

भूपेंद्र सारस्वत 'सारथी' बरेली (उ0प्र0).

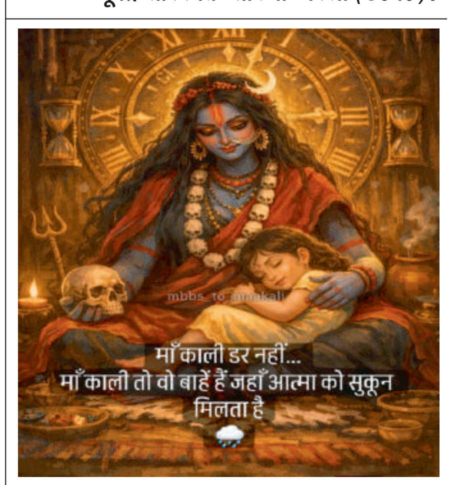

जब दुनिया ठुकराती है,
जब मन टूटकर बिखर जाता है,
जब अपने भी समझ नहीं पातेह्न
तब माँ काली चुपचाप अपने आँचल में जगह दे देती हैं।

वो सिर्फ विनाश की देवी नहीं,
वो टूटे हुए मन की मरहम भी हैं,
डर के अंधेरे में जलती हुई दीपशिखा भी हैं,
और भटकी हुई आत्मा का घर भी।

माँ काली का रूप भले प्रचंड है,
पर उनका हृदय सबसे कोमल है।
जो उनके पास आ गयाह्न
वो फिर कभी अकेला नहीं रहा।

दूध उत्पादक पशुपालक किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में मान सरकार का बड़ा कदम: प्रभबीर सिंह

अमृतसर, 03 मार्च (साहिल बेरी)

आम आदमी पार्टी–अमृतसर शहरी के जिला प्रधान एवं पनसप (पंजाब) के चेयरमैन प्रभबीर सिंह बराड़ ने पंजाब सरकार द्वारा दूध उत्पादक किसानों के हित में लिए गए फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में सरकार गांवों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार ऐतिहासिक फैसले ले रही है।

बराड़ ने कहा कि पंजाब के लगभग 2.5 लाख से अधिक पशुपालक किसानों की आय बढ़ाने के लिए मिल्कफेड (वेरका) द्वारा दूध की खरीद कीमत में प्रति किलोग्राम फैट ₹10 से ₹15 तक की बढ़ोतरी की गई है, जो किसानों के लिए बड़ी राहत साबित होगी। उन्होंने कहा कि यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल

2026 से लागू हो चुकी है और इससे डेयरी क्षेत्र को नई मजबूती मिलेगी।

उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार किसानों, मजदूरों और पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार द्वारा गांव स्तर पर डेयरी सेक्टर को प्रोत्साहित करने, किसानों को बेहतर दाम दिलाने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

बराड़ ने कहा कि पिछली सरकारों ने पशुपालकों की समस्याओं को नजरअंदाज किया, लेकिन मान सरकार किसान-केंद्रित नीतियों के साथ पंजाब की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भी जनकल्याण और किसानों के हित में और बड़े फैसले लिए जाएंगे।

अंत में उन्होंने पंजाब के दूध उत्पादक किसानों से बढ़ी हुई कीमतों का लाभ उठाने और डेयरी व्यवसाय को और मजबूत करने की अपील की।

क्यों हो रहा है कैंसर, इस पर शोध की जरूरत — लोकसभा में रखी है मांग : शैलजा

अंडरपास के लिए रेल मंत्री के समक्ष रखी है मांग, सरकार ले जल्द फैसला : शैलजा

हरियाणा/हिसार (राजेश सलूजा): सिरसा से लोकसभा सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा उकलाना में गुलशन भंगू के पिता लखविंदर सिंह भंगू के निधन पर शोक व्यक्त करने पहुंची। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कैंसर के मामलों में लगातार बढ़ोतरी होना अच्छे संकेत नहीं हैं। इसके लिए सरकार को व्यापक स्तर पर शोध करने की जरूरत है कि आखिर कैंसर क्यों बढ़ रहा है।

उन्होंने कहा कि इलाज के लिए अस्पतालों की आवश्यकता तो है ही, लेकिन यह भी जरूरी है कि बीमारी के मूल कारणों का पता लगाया जाए। आज नहरों और जमीन का पानी क्यों खराब हो रहा है, क्या उसमें किसी प्रकार के केमिकल मौजूद हैं या अन्य कोई कारण है, इस पर सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। यह मुद्दा उन्होंने लोकसभा में भी उठाया है। उन्होंने कहा कि आज ऐसा कोई घर-परिवार नजर नहीं आ रहा, जहां कैंसर के मामले सामने न आ रहे हों, इसलिए समय रहते इस विषय पर शोध कर समाधान निकालना जरूरी है।

ईरान-अमेरिका तनाव के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों का असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, जिससे महंगाई बढ़ने की संभावना रहती है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2008 में भी ऐसी परिस्थितियां बनी थीं, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सरकार ने मजबूती से फैसले लेकर देश को संभाला था। देश में तेल और गैस जैसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है और इसके

लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए।

अंडरपास के मुद्दे पर पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यह मामला भी उन्होंने लोकसभा में उठाया है और रेल मंत्री से इस पर संज्ञान लेने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि अंडरपास और ओवरब्रिज जैसी मूलभूत सुविधाएं समय पर उपलब्ध होनी चाहिए थीं, लेकिन इनमें देरी होना आम जनता के हितों के साथ खिलवाड़ है। सरकार को इस दिशा में जल्द निर्णय लेना चाहिए। हालांकि इसके बाद सत्यवान सेलवाल की माता चंद्रा देवी के निधन पर भी शोक व्यक्त करने के लिए शंकरपुरा पहुंची।

मौके पर सरदार गुरमुख सिंह भंगू, एयर मार्शल परमजीत सिंह भंगू, चंद्रहर्ष, राजेश भुटानी, लाल बहादुर खोवाल, करण सिंह नैन, कामरेड हरदीप सिंह, हरपाल सेलवाल, भगत सिंह खोवाल, हरजिंदर सिंह, जसविंदर सिंह, जसवीर सिंह, सुबह सिंह, गुरप्रीत सिंह, हरप्रीत सिंह, मनजीत सिंह, अमनदीप सिंह, ऋषिपाल सिंह, मलकीत सिंह, रिंकू, गगनदीप सिंह, रिंकू वर्मा, सोगवान बेदी, वीरेंद्र सेलवाल, ईश्वर सरपंच सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

75 वर्षिय माओवादी प्रशान्त बोस ने रांची जेल से दुनिया को अलविदा कहा

2021को सरायकेला जिले से हुई थी प्रशान्त उर्फ किशन दा की गिरफ्तारी

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड - झारखंड

रांची, झारखंड के रांची स्थित बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में बंद प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के पोलित ब्यूरो सदस्य प्रशांत बोस की मौत हो गई है। तीन अप्रैल की सुबह चार बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। वह बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद थे और भाकपा माओवादी के शीर्ष पद पर थे।प्रशांत बोस की उम्र 75 साल से अधिक थी। जेल प्रशासन ने उनकी मौत के बाद शव को रिम्स भेजा दिया है। प्रशांत बोस मूल रूप से पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। नक्सली संगठन में प्रशांत बोस को किशन दा के नाम से जाना जाता था।किशन दा पहले एमसीसीआई के प्रमुख थे। साल 2004 में माओवादी कम्यूनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया (MCCI) और पिपुल्स वार (PW) के विलय के बाद वह नये संगठन भाकपा माओवादी के पोलित ब्यूरो सदस्य बने थे। प्रशांत बोस की पत्नी शीला मरांडी भी नक्सली संगठन से जुड़ी हुई है। 21 नवंबर 2021 को झारखंड पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023